निबंध सुरभि

कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते

अखिल भारतीय हिन्दी निबंध प्रतियोगिता वर्ष 2022 के चयनित निबंधों का संकलन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "सेंट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

राजभाषा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

कर्तव्येन कर्ताभि रक्ष्यते

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
01	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश	2
02.	कार्यपालक निदेशक का संदेश	3
03.	प्रस्तावना	4
04.	निबंध 1 : सुश्री श्रावणी कोमरगिरी	5
05.	निबंध 2 : श्री आनंद कुमार	7
06.	निबंध 3 : सुश्री सविता रानी	10
07.	निबंध 4 : श्री संजय लाम्बा	12
08.	निबंध 5 : सुश्री गौरी उदय पाथरवालकर	15
09.	निबंध 6 : सुश्री लीना शेवडे	18
10.	निबंध 7 : सुश्री मीरा कोठावले	21
11.	निबंध 8 : श्री सुनील कुमार शर्मा	25
12.	निबंध 9 : श्री अमितेश कुमार सिंह	31
13.	निबंध 10 : श्री किशोर कुमार दास	34
14.	निबंध 11 : श्री अच्युदानन्द झा	37
15.	निबंध 12 : श्री रोहित तिवारी	40
16.	निबंध 13 : श्री बलबीर कुमार	46
17.	निबंध 14 : सुश्री वैदेही मांजरेकर	50

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री एम. वी. राव का संदेश

प्रिय सेंट्रलाइट साथियो,

प्रतिवर्ष हमारे बैंक द्वारा अपने कर्मचारीयों के लिए अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है. वर्ष 2022 के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता में निबंध लिखने के लिए दिए गए विषयों में एक विषय 'कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते' भी था. हमारे कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इस विषय पर निबंध लिखकर प्रतियोगिता में सहभागिता की.

उन्ही निबंधों में से चयनित कुछ निबंधों को एक संकलन के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है.

जीवन में अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब कर्तव्य करने वाला व्यक्ति उसके परिणाम के प्रति सशंकित हो जाता है. वह इसके परिणाम अथवा दुष्परिणाम की आशंका से अपना कर्तव्य करने से झिझकता है. वास्तविकता यह है अगर अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी के साथ निष्ठा पूर्वक किया जाए तब उसका परिणाम (अथवा दुष्परिणाम) अपने कर्ता की रक्षा करता है.

हम बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत हैं, यहाँ बार-बार निर्णय लेने पड़ते हैं, त्वरित निर्णय लेने पड़ते हैं. आर्थिक निर्णय लेने पड़ते हैं, साथ-साथ प्रशासनिक निर्णय भी लेने होते हैं. संस्था की गतिशीलता बनाए रखने के लिए निर्णय लेने के कर्तव्य का पालन करना आवश्यक होता है. इस दिशा में इस संकलन में समाहित निबंध अत्यंत उपयोगी प्रतीत होते हैं.

आशा है यह उपयोगी सिद्ध होगा.

हार्दिक शुभकामनाएं.

श्री एम. वी. राव

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कार्यपालक निदेशक श्री विवेक वाही का संदेश

हमारे बैंक द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष आयोजित 43 वीं अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता में 'कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते' विषय पर प्राप्त अनेक निबंधों में से हमारे केंद्रीय कार्यालय द्वारा चयनित कुछ निबंधों का यह संकलन ज्ञानवर्धक एवं पठनीय है.

मुझे पूर्ण विश्वास है कि पाठकों के लिए यह पूर्ण उपयोगी सिद्ध होगा.

श्री विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

कार्यपालक निदेशक श्री राजीव पुरी का संदेश

वर्ष 2022 में हमारे बैंक ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए 43 वीं अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसमें सभी भाषिक क्षेत्रों से हमें बड़ी संख्या में प्रविष्टियां प्राप्त हुईं थी. प्रसन्नता का विषय है कि अब हमारे केंद्रीय कार्यालय के राजभाषा विभाग द्वारा कुछ श्रेष्ठ निबंधों का चयन करके उसे संकलन के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है.

मैं आशा करता हूँ कि पाठकों को यह अवश्य पसंद आयेगा.

श्री राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

कार्यपालक निदेशक श्री एम वी मुरली कृष्ण का संदेश

प्रत्येक वर्ष की तरह वर्ष 2022 में हमारे बैंक द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. हमें केंद्रीय कार्यालय में बड़ी संख्या में निबंध प्राप्त हुए थे. हमारे राजभाषा विभाग द्वारा 'कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते' विषय पर कुछ चयनित निबंधों के संकलन को निबंध सुरभि के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है.

मेरा मानना है कि यह पाठकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

श्री एम वी मुरली कृष्ण
कार्यपालक निदेशक

प्रस्तावना

भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि 'कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर'. इस दर्शन के रहते हुए भी अनेक व्यक्ति कभी-कभी असमंजस की स्थिति में रहते हैं. वे यह निर्णय नहीं ले पाते कि उन्हें यह कर्तव्य पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. इस विषम परिस्थिति में अधिकांश अवसरों पर व्यक्ति किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है जिसे उचित नहीं माना जा सकता है.

जबकि भारतीय दर्शन में 'कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते ' की अवधारणा भी है जिसका तात्पर्य है कर्तव्य ही कर्ता की रक्षा करता है. जब व्यक्ति यह समझ ले कि कर्तव्य ही कर्ता की रक्षा करता है तब वह बिना किसी डर के कर्तव्य कर सकता है.

अन्य विषयों के साथ-साथ इसी महत्वपूर्ण विषय('कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते') पर आयोजित हमारी 43 वीं अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता में हमें अच्छे- अच्छे विचारों के साथ लिखे गए निबंध प्राप्त हुए. हमने उन्ही निबंधों का संकलन इसी शीर्षक ' कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते ' के साथ तैयार किया है. मैं प्रतियोगिता में सहभागिता करने वाले सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देता हूँ तथा जिनके निबंधों को इस संकलन में स्थान मिला है उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ.

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह संकलन पाठकों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा.

श्री स्मृति रंजन दाश

महाप्रबंधक - राजभाषा

निबंध 1

कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते

भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कर्म करो और फल की अपेक्षा मत रखो. जो व्यक्ति फल की आशा को छोड़कर जो भी कार्य उसे मिलते हैं उन्हें अपना कर्तव्य मानके करता है उसीके कार्य पूर्ण होते हैं और उसे ही सफलता मिलती है. आज कल व्यक्ति को किसी भी प्रकार के संघर्ष का अनुभव ही नहीं है. किन्तु कोई भी कार्य बिना मेहनत के पूर्ण नहीं होता है. कर्तव्य को निभाने के लिए निष्ठा, एकाग्रता और लगन आवश्यक है. यदि हर कोई अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करेंगे तो उन्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगा. हर एक कार्य में हम हमारा लाभ देखते हैं. अगर लाभ अधिक हो तो हमे वह लाभ अवश्य चाहिए. किन्तु मेहनत कोई और करे. जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते किन्तु जो आज करेंगे उसे हमारा कल निर्मित होगा. क्या हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला कल हमारे बीते हुए कल जैसा हो? यह सोच जो लाभ के बारे में है वह बहुत छोटी सोच है. ऐसा सोच के हम अपने आप को बहुत छोटा बना रहे हैं. भगवान ने हर इंसान को अपना योगदान देने के लिए बनाया है ना की भोज बनने. योगदान कितना दे रहे हैं इसका महत्व नहीं है. जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है वैसे ही हर एक कर्मचारी का योगदान बैंक को आगे ले जा सकता है. यह सोचने के बजाए की मैं क्यों यह काम करू अगर हर एक कर्मचारी यह सोचे कि कोई भी काम मुझे मिले मैं उसे पूरा करूँगा ना ही लाभ के लिए और ना ही नाम के लिए, केवल अपना कर्तव्य मानके. कर्तव्य को निभाना ही हमारा धर्म है. और धर्म के रास्ते पे चलने वालों के साथ स्वयं भगवान होते हैं.

हमारे शास्त्रों में कर्म की महानता को महत्व दिया है. जो व्यक्ति अपने कर्म को धर्म के हित में करे उसे उत्तम माना गया है. महाभारत में अपने कर्तव्यको पालन करने की सीख दी गयी है. कुछ प्राप्तः करने के लिए यदि हम अपने धर्म के रास्ते से हट जाये तो वहां कर्तव्य का पालन नहीं होगा. कार्यालय में धोखा होने का कारण अधर्म है. लोग अपने काम को पूजते नहीं है, काम को एक ज़रिया मानते है अपने व्यक्तिगत लाभ पूरे करने के लिए. इस सोच का कारण है लालसा . जब व्यक्ति कर्तव्य का महत्व नहीं देख पाता है, जब वो अधिक प्राप्त करने कि आशा से बंधा हुआ हो तो वहा किसी भी कार्य को निष्ठां से नहीं कर पाता है. और ऐसे व्यक्ति को सुख कि प्राप्ति नहीं होति है. जितना वो अधर्म के मार्ग पर चलेगा उतनी ही पीड़ा उसे होती है. किन्तु जो व्यक्ति अपने काम को पूजता है अपने कर्तव्य का वहन करता है जो निष्ठावान है वो ना केवल अपने लिए बल्कि अपने सहकर्मी के लिए भी प्रशंसा दिलाता है.

हमारा काम हमारे आस पास के माहोल पे भी निर्भर करता है. अगर कार्यालय का वातावरण अच्छा हो तो काम करने में मन भी लगेगा. आस पास का वातावरण जैसा होता है वैसा हमारा मन होता है. और कार्यालय का वातावरण वहा के लोगों से उनके सोच और व्यवहार से बनता है. यदि मन अच्छा हो तो विचार अच्छे होंगे और जैसे विचार होंगे वैसा व्यवहार होगा. व्यवहार से विकास होता है. हम ग्राहक को अच्छी सर्विस देते हैं तो हमारे बैंक का विकास होगा. ग्राहक खुश रहे तो बैंक कि प्रगती होगी. योगदान किसी एक कर्मचारी का ही हो तो यह संभव नहीं है. किन्तु ऐसा सोच के हमे पीछे नहीं बैठना है. जैसे गाँधीजी ने कहा है जो परिवर्तन आप देखना चाहते हो दुनिया में उसका आरम्भ स्वयं से करना होगा. हमें एक मिसाल बनना होगा. वैसे ही हम जो परिवर्तन देखना चाहते हैं उसे अपने आप में लाना होगा. जो कमियां हैं उसके बारे में शिकायत नहीं करना चाहिए. उन कमियों को कम करने के लिए उपाय सोच के उसे अमल भी करना होगा. शिकायत करने से केवल हानि होती है उस व्यक्ति की जो कर रहा है, और उस कार्यालय की जहां वह काम करता है. यदि हम मिलके इन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हुए एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो मंज़िल दूर नहीं है. जैसे रामायण में गिलहरी ने प्रभु श्रीराम की सहायता की थी जब सारे वानर नदी में पुल बनाने का प्रयास कर रहे थे तभी यह गिलहरी वहां रेत

को अपने पीट पे लेकर नदी में छोड़ रही थी. और ऐसा करते करते उसने वहा रेत का डेरा बना दिया. इस से यहीं सीख मिलती है की सकारात्मक रह के हमें अपनी कोशिश करते रहनी चाहिए. लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालो की कभी हार नहीं होती. बैंक की प्रगती के लिए छोटी सी कोशिश भी लाभदायक होती है. जैसे हम वृक्ष की रक्षा करते हैं तो वे हमारी रक्षा करते हैं वैसे ही हम बैंक की रक्षा करेंगे तो बैंक हमारी रक्षा करेगा. निष्ठावान कर्मचारी बैंक को लाभ दिला सकता है.

सब लोग हैं तो हम क्यों मेहनत करे? इतने सारे बैंक हैं हमारा बैंक क्या कर सकता है. मैं अकेला मेहनत करू तो बैंक को क्या लाभ मिलेगा? ऐसा सोच के हम खुद का नुकसान कर रहे हैं. जो व्यक्ति नकारात्मक सोचता है वह न केवल खुद को बल्की अपने आस पास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है. और जो व्यक्ति सकारात्मक सोचता है वह अपने साथ दूसरों को भी उम्मीद दिलाता है और आत्मविश्वास से भर देता है. जब हम फल की आशा से कार्य करते हैं तो हम अपना कार्य पूरा मन लगाकर नहीं कर पाते क्योंकि अपनी नजर फल के ऊपर टिकी रहती है. और अगर हम फल कि अपेक्षा करे बिना अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमारा ध्यान फल की ओर नहीं जाएगा और हम अपना कर्तव्य पूरी तरह निभा पायेंगे. जो व्यक्ति स्वार्थ को सोचते हुए अपना कर्तव्य करता है वह व्यक्ति जीवन में सफलता कभी प्राप्त नहीं कर पायेगा. और जो व्यक्ति निस्वार्थ होकर अपना कर्तव्य निभाता है वह अपने जीवन में सफलता और उन्नति पाता है. जो भी कार्य हम करना चाहते हैं उस कार्य के बारे में अगर हमें सम्पूर्ण जानकारी हो तो वह कार्य हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं. एक सुशिक्षित कर्मचारी अपने संस्था के लिए एक सम्पत्ति कहा जा सकता है और वह अपनी संस्था के लिए लाभदायक सिद्ध होता है. एक संस्था की उन्नति उस संस्था में काम कर रहे हर कर्मचारी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, पे निर्भर करती है. अगर सारे कर्मचारी पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य पालन करते हैं तो उस संस्था की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता.

यह हमारा बैंक है इसे हमे आगे ले जाना होगा. बैंक का भविष्य हमारे हाथों में है. जो भी काम कर रहे हैं वो ये सोचें की जो भी कार्य हमें मिले वो अपने बैंक के लिए कर रहे हैं चाहे वो छोटा हो या बडा काम, हम जो भी करें वो बैंक की तरक्की के लिए कर रहे हैं तो हमारा बैंक सफलता के रास्ते पर होगा.

सुश्री श्रावणी कोमरगिरी
एकल खिडकी परिचालक
सिताफलमंडी शाखा

निबंध 2

कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते

'कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते' यह संस्कृत का वाक्य है जिसका अर्थ है, **'कर्तव्य से ही कर्ता की अभिरक्षा होती है।'**

कर्तव्यका अर्थ : कर्तव्य एक दायित्व है. कर्तव्य की अवधारणा अधिकार की अवधारणा की पूरक है. किसी विशेष कार्य को करने या न करने के संबंध मे व्यक्ति के उत्तरदायित्वों को कर्तव्य कहा जा सकता है. अर्थात् समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति से जिन कार्यों को करने की अपेक्षा की जाती है वे ही उसके कर्तव्य कहलाते है. अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. यदि कोई उनको अपनी दृष्टि से देखता है तो उसका अधिकार है और यदि कोई उन्हें दूसरी दृष्टि से देखे तो उसके कर्तव्य है.

अधिकार व कर्तव्य सामाजिक कल्याण की दशाएँ है. समाज के प्रत्येक सदस्य का इस कल्याण के प्रति दोहरा दायित्व है. अधिकार एक माँग है तो कर्तव्य दायित्व. एक व्यक्ति के अधिकार समाज के अन्य सदस्यों का कर्तव्य निर्धारित करते हैं और अन्य सदस्यों के अधिकार एक व्यक्ति के कर्तव्य को निर्धारित करते हैं.

कर्तव्य क्या है – एक व्यक्ति अपने हित के लिए अपनी इच्छा के अनुसार कई काम करता है और कई काम नहीं करता. अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना या न करने को कर्तव्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से समाज में अराजकता फैल जाएगी. कर्तव्यों का अर्थ उन कार्य से है जो व्यक्ति अपने हित के लिए अपनी इच्छा अनुसार नहीं, बल्कि निश्चित नैतिक सिद्धांतों और कानूनों के आधार पर करता है. समाज के नैतिक सिद्धांत और राज्य के कानून व्यक्ति के लिए कुछ काम करने के लिए और कुछ ना करने के लिए निश्चित करते हैं. इन निश्चित कार्यों के अनुपालन को कर्तव्य कहा जाता है यह उल्लेखनीय है कि कुछ कार्यों का अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होता, लेकिन व्यक्ति को इन कार्यों का पालन करना आवश्यक है. हमारे दिवंगत राष्ट्रपति डॉ जाकिर हुसैन के शब्दों में, कर्तव्य आज्ञा का अंधाधुंध पालन करना नहीं हैं, बल्कि यह अपनी जिम्मेदारी को निभाने की तीव्र इच्छा है.

रोमन दार्शनिक के एपिक्टेटस (Epictetus) अनुसार, यह नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने हितों को दूसरों के हितों से बिल्कुल अलग न समझे.

कर्तव्यों को दो भागों मे बाँटा जा सकता है –

1. नैतिक कर्तव्य

नैतिक कर्तव्यों का आधार व्यक्ति की नैतिक चेतना है. इन कर्तव्यों का पालन व्यक्ति स्वतः करता है. यदि व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन न करें तो राज्य ऐसा करने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकता और न दण्डित कर सकता है.

2. वैधानिक कर्तव्य

ये वे कर्तव्य हैं, जिन्हें राज्य कानून बनाकर व्यक्ति को (जो राज्य मे रहते हैं) इनका पालन करने के लिये बाध्य कर सकता है. इनका पालन करना या न करना व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है. इनका पालन न करने पर राज्य व्यक्ति को दण्डित भी कर सकता है.

मौलिक कर्तव्य क्या है?

अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबंधित है. मौलिक कर्तव्यों के बिना मौलिक अधिकारों का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता. मौलिक कर्तव्यों का अर्थ ऐसे कर्तव्यों से है जिनका अनुपालन व्यक्तिगत विकास और सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक है. ऐसे कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्य कहा जाता है, जिनकी व्यवस्था सर्वोच्च संविधान में की जाती है और जिनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में जरूरी व्यवस्था की जाती है.

समाजवादी देशों के संविधानों में मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्य की भी व्यवस्था अक्सर की जाती है.

नैतिक कर्तव्य

किसी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं में किए जाने वाले इस प्रकार के नैतिक कर्तव्य इस प्रकार हैं :

आत्म-नियंत्रण – आत्म-नियंत्रण का अर्थ है अपने आप को सामाजिक, आर्थिक और नैतिक सीमाओं के अंदर रखना और अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखना. प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने अंदर आत्म-नियंत्रण की आदत विकसित करे और जीवन के कार्य क्षेत्र में इस गुण का उपयोग करे.

चरित्र निर्माण – एक उच्च आचरण वाला मनुष्य ही देश की बहुमूल्य संपत्ति होती है. वह व्यक्ति उच्च राष्ट्रीय और नैतिक आचरण के मालिक होते हैं, वह देश को प्रगति के पथ पर ले जाता है, इसलिए उच्च और उच्च स्तर **के दृष्टिकोण को विकसित करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है.**

अच्छा स्वास्थ्य – जिस देश के नागरिक बीमार और कमजोर हैं, वह देश अपनी स्वतंत्रता को लंबे समय तक कायम नहीं रख सकता है, क्योंकि स्वस्थ नागरिक खुद की और अपने देश की रक्षा कर सकता है. इसके अलावा बीमार व्यक्ति समाज को कोई देन नहीं दे सकता. बीमार व्यक्ति की सोचनी भी बीमार होगी. एक प्रसिद्ध कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग हो सकता है. इसलिए हर किसी का कर्तव्य है कि वे अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दे और एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करे.

सादा जीवन और उच्च विचार – मनुष्य की महानता उसके जीवन और उसके उच्च विचारों में है. प्रत्येक व्यक्ति को अपने बाहरी दिखावे को ऊंचा करने के लिए प्रयास नहीं करने चाहिए, बल्कि, उनके विचार भी उच्च होने चाहिए. सादा जीवन और उच्च विचारों के गुणों को विकसित करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है.

आदर्श दिनचर्या व्यवहार – एक अच्छे नागरिक की दिनचर्या व्यवहार उसके देश की सभ्यता पर निर्भर है. हम अपने घर के बाहर कैसे व्यवहार करते हैं, हमारी नागरिकता के स्तर में एक झलक प्राप्त की जा सकती है. हमारे बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, काम करने का तरीका, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिनेमा और कई अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हमारा व्यवहार हमारी नागरिकता का स्तर है. पड़ोसियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है और हम अन्य सामाजिक समस्याओं से कैसे निपटने की कोशिश करते हैं, यह सब हमारी नागरिकता का स्तर प्रगट करता है. दैनिक व्यवहार हमारे जीवन का निर्माता है. प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है कि वह आदर्श दैनिक अभ्यास का निर्माण करे.

शिक्षा प्राप्त करना – लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिक का पढ़ा लिखा होना जरुरी है. शिक्षा नागरिकों के भीतर सदाचार और नैतिकता की भावना पैदा करती है. शिक्षा के माध्यम से, नागरिक अपने कर्तव्यों और अधिकारों से परिचित हो सकते हैं. शिक्षा के बिना मनुष्य का मानसिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास असंभव है. इसलिए शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है.

जीवन निर्वाह करने के लिए कमाना – खुशहाल जीवन के लिए व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सटीक होना बहुत महत्वपूर्ण है. निष्क्रिय व्यक्ति न तो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है और न ही किसी पक्ष से समाज के लिए लाभदायी सिद्ध हो सकता है. यह प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है कि वह रोजी-रोटी कमाये और अपनी जरूरतों और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करें.

योगस्थ: कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धय-सिद्धयो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।।

धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य. धर्म के नाम पर हम अक्सर सिर्फ कर्मकांड, पूजा-पाठ, तीर्थ-मंदिरों तक सीमित रह जाते हैं. हमारे ग्रंथों ने कर्तव्य को ही धर्म कहा है. भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश-अपयश और हानि-लाभ का विचार नहीं करना चाहिए. बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्म पर टिकाकर काम

करना चाहिए. इससे परिणाम बेहतर मिलेंगे और मन में शांति का वास होगा. मन में शांति होगी तो परमात्मा से आपका योग आसानी से होगा. आज का युवा अपने कर्तव्यों में फायदे और नुकसान का नापतौल पहले करता है, फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में सोचता है. उस काम से तात्कालिक नुकसान देखने पर कई बार उसे टाल देते हैं और बाद में उससे ज्यादा हानि उठाते हैं.

कर्तव्य बोध :

कर्तव्य–बोध से तात्पर्य है–आत्मप्रेरणा से संवेदनापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करना.

कर्तव्यों के निर्वहन से ही सकारात्मक समाज और भावी पीढ़ी को आदर्श व्यवस्था प्रदान की जा सकती है.

कर्तव्य–परायणता :

कर्तव्य–परायणता का अर्थ अपने अंत तक आदेशों का पालन का अभ्यास. अंत:करण से मनुष्य को अपने कर्तव्य का बोध होता है. कर्तव्य–परायण व्यक्ति सदा अपने कर्तव्य का पालन करता है. वह न्यायशील, धार्मिक तथा नैतिक दायित्व का पालन करता है. वह अपनी इच्छाओं तथा साधनों पर विचार करता है. वह खुद अपनी चरित्र की मीमांसा करता है. वह आत्मनिर्भर होता है, कौन सी परिस्थिति में उसका क्या कर्तव्य है यह जानता है.

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतु र्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि ।।

भगवान श्रीकृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए. यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा से साथ वह कर्म नहीं कर पाओगे. निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है. इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो. फल देना, न देना व कितना देना ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालनकर्ता है.

कर्तव्य का पालन प्रत्येक मनुष्य को करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि यही समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी निर्धारित करते हैं. यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन अच्छे प्रकार से करता है, तो समाज में उसे आदर व सम्मान प्राप्त होता है परंतु यदि कोई मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो उसे समाज से कभी भी सम्मान व आदर नहीं मिल सकता है.

कर्तव्य–बोध ही जीवन की धुरी है. वह हमारी मनुष्यता को प्रकट करके हमें सही अर्थों में मनुष्य बनने की राह पर ले जाता है. जिस परिवार, जिस समाज और जिस देश में जितनी संख्या में ऐसे कर्तव्यबोध से भरे हुए मनुष्य होते हैं, वह परिवार, वह समाज और वह देश उतनी मात्रा में बलवान, सम्पन्न और सुदृढ़ होता है.

जो कर्तव्यके पथ से विचलित हो जाता है, उसका समाज में निरादर होता है और उसका अपयश सर्वत्र फैल जाता है जो मानव लज्जा, भय, निन्दा और विघ्नों की चिन्ता न करके अपने– अपने कर्तव्यपालन पर दृढ़ रहते हैं, वे अपने जीवन में सफल होते हैं.

यदि किसी भी संस्था के कर्मचारी संस्था के प्रति अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करते हैं तो कर्मचारी के भविष्य, उसके हितों की, उसके परिवार की, समाज की और अंतत: देश की अभिरक्षा होती है. अत: यह शाश्वत सत्य है: **'कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते'**

श्री आनंद कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक, मा.सं.वि.
द.मु.क्षे.का.

निबंध 3

कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते

कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते विषय पर लेख लिखने से पहले कर्तव्य शब्द को समझना होगा, उसके अर्थ को समझना होगा. कर्तव्य परायण का अर्थ कर्तव्य के प्रति आदर भाव रखना होता है. मानव को यथाशक्ति और आवश्यकतानुसार कार्य करना ही उसके कर्तव्य–परायण होने की पहचान है. मानव जीवन कर्तव्यों का भंडार है. उसके कर्तव्य उसकी अवस्था अनुसार छोटे और बड़े होते हैं. इनको पूर्ण करने से जीवन में उल्लास, आत्मिक शान्ति और यश मिलता है. बचपन में माता पिता तथा परिजनों की आज्ञा मानना भी कर्तव्य कहलाता है. विद्यार्थी जीवन में गुरू की आज्ञा ही उसका कर्तव्य बन जाता है. युवावस्था में व्यक्ति के कर्तव्य परिजनों, पडोसियों के अतिरिक्त राष्ट्र के प्रति भी हो जाते हैं. उसके कंधों पर समाज और राष्ट्र की उन्नति का भार आ पड़ता है. उसे देश की कारीगरि, कला – कौशल और व्यापार की उन्नति करनी पड़ती है. ऐसे तमाम दायित्वों से उसका जीवन सदा त्याग, तपस्या और सेवा भाव में लिप्त रहता है. जिस प्रकार प्रत्येक शासक का कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है. उसी प्रकार प्रजा का कर्तव्य भी उसकी मंगल कामना करना है. शिक्षक का कर्तव्य अपने छात्रों के मन से अज्ञानता का आवरण हटाकर उन्हें आदर्शवादी बनाना है. यही सभी मानवों का कर्तव्य है. अपने कर्तव्यों को आदर से पूरा करना कर्तव्य–परायणता है. इनको पूर्ण करने के लिए उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसको प्राकृतिक शक्तियाँ अपने कर्तव्य का पालन करती हुई पूर्ण सहयोगी देती है. इस पर भी जो कर्तव्य के पथ से विचलित हो जाता है, उसका समाज में निरादर होता है. उसका अपयश सर्वत्र फैल जाता है. जो मानव लज्जा, भय, निन्दा और विघ्नों की चिंता न करके अपने अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहते हैं. वे अपनी जीवन में सफल होते हैं. कर्तव्य–परायणता के कुछ उदाहरण भी मिलते हैं. कर्तव्य परायण महाराणा प्रताप ने अनेक कष्टों को सहन किया पर मुगलों के सामने नतमस्तक नहीं हुए. श्रीराम ने कर्तव्य परायणता से वशीभूत होकर गर्भवती सीता का परित्याग किया. ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं. कर्तव्य पालन ही एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हम अवर्णनीय आनन्द को प्राप्त कर सकते है. इसके आनन्द से मस्त मानव मातृभूमि की रक्षा हेतु हर्षित मन से फांसी के तख्ते पर लटक जाता है. उसकी अमरगाथा पुष्प पराग के समान सर्वत्र फैल जाती है. अतः प्रत्येक मानव को कर्तव्यों का अवश्य पालन करना चाहिए. प्रत्येक मानव के कर्तव्य अवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार छोटे और बड़े होते हैं. इसको पूर्ण करने से जीवन में उल्लास, आत्मिक शांति और यश मिलता है. हमें बहुमूल्य मानव शरीर मिला है उसे निरोगी और दीर्घ जीवी तभी बनाया जा सकता है जब मन की प्रखरता एवं सभ्यता इस बात पर निर्भर है कि चिंता, शोक, निराशा, भय, क्रोध, आवेश आदि से उसे बचाया जाए. उत्साह, उल्लास, धैर्य, साहस, संतोष, विश्वास, संतुलन, स्थिरता एवं एकाग्रता जैसे सद्गुणों से सुसज्जित रखा जाए. यदि मन को ऐसे ही जंगली बेल या कांटे की तरह चाहे जिस दिशा में बढ़ते दिया जाए तो वह जीवन अपने आप ही शत्रु के समान हो जाएगा. मन को साधने और सुसंस्कृत बनाने की जिम्मेदारी उस प्रत्येक व्यक्ति की है. वह जिसे मानसिक क्षमता को वरदान मिला है. महत्वपूर्ण कार्य सदा ही उन्ही के द्वारा संपन्न होते है जो कर्तव्य पालन को प्राणों से अधिक प्यार करते है. सैनिकों का इतिहास गवाह है किसी भी देश का उत्थान वहाँ के नागरिकों के अपने अपने कर्तव्यों के पालन के ही फल स्वरूप हुआ है. समाज या देश का उत्थान सामूहिक प्रयासों से होता है ना की किसी एक व्यक्ति के कर्तव्य परायण होने से. व्यक्ति के जीवन में सफलताएं तभी प्राप्त होती है जब वह कर्तव्य परायण हो जाता है.

भारतीय संस्कृति में भी कर्म को ही प्रधानता दी गई है. इसीलिए उन्हीं महापुरुषों को पूजा गया है जिन्होनें भावना से उठकर कर्तव्य को प्रधानता दी है. महर्षि वेदव्यास ने ते यह स्पष्ठ कहा है कि यह धरती हमारे

कर्मों की भूमि है. कर्तव्य मनुष्य के संबंधों और दोस्तों से ऊपर होता है. ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है. देश की आजादी के आन्दोलन के समय भी कई युवकों कि अपनी भावनाएं, सपने रहे होंगे, किन्तु उन्होनें अपनी परवाह न करते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए. प्रत्येक मानव को अपने कार्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहना चाहिए कर्तव्य को सही मायने में समझ कर, अपने कर्तव्य को करने वाले की रक्षा उसकी कर्म ही करता है. जो अपने कर्तव्य को समझता है और उसे पूरी ईमानदारी से करता है, वह बड़े चैन से जीता है, उसको मन की शान्ति मिलती है. कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते इस ध्येय वाक्य के साथ सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में अपनी स्थापना के 110 वर्ष होने के उपलक्ष्य में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया. बैंक का कर्तव्य होता है, ग्राहक सेवा. तो ग्राहक सेवा के एक रूप में बैंकों को विभिन्न ऋण सुविधाएं भी देनी होती हैं. जैसे रिटेल, कृषि, शिक्षा, एम एस एम ई ऋण प्रदान किए जाते हैं. इन योजनाओं के माध्यम से बैंक ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपने से जोड़े रखता है. ग्राहकों को भी बैंक के प्रति अखण्ड विश्वास हो जाता है. और उस विश्वास को बनाए रखना प्रत्येक बैंक का कर्तव्य होता है. कहीं गांव में ग्राहक अपने बैंक के मैनेजर को अपना सब कुछ मान लेते हैं, वे मेनेजर के कहने पर कोई भी स्कीम लेने को तैयार हो जाते हैं. सच कहे, तो बैंक में कार्यरत प्रत्येक स्टाफ सदस्यों के कार्यनिष्ठा के कारण ही प्रत्येक ग्राहक का विश्वास टिका रहता है. जब कोई भी स्टाफ छलकपट से कार्य करता है और वो जब पकड़ा जाता है, ऐसे स्टाफ न केवल अपने आप को फ्रोड कहलाते हैं बल्कि वे अपने बैंक से ग्राहकों के विश्वास पर भी कलंक छोडते हैं. ग्राहक ऐसे बैंक से अपना नाता तोड़ देते हैं. जो यह दिखलाता है कि कर्तव्य सही रुप से न करने पर हमें हानि होती है. बैंकों की प्रगति प्रत्येक स्टाफ से होती है. जब प्रत्येक स्टाफ अपने कर्तव्य को करते हैं बैंक का कर्तव्य पूर्ण होता है. और यही कर्तव्य निष्ठता बैंक की रक्षा करती है.

सुश्री सबिता रानी
प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम

निबंध 4

कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते

''कर्तव्येन कर्ताभी रक्षयते अर्थात जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करते हैं, उनका कर्म ही उनकी रक्षा करता है''. उदाहरण स्वरूप लें तो किसी भी चीज की महत्वता उसी व्यक्ति को पता होती है जिसने उस वस्तु को अथवा पद को कठिन परिश्रम के बाद अर्जित किया होता है, अतः जो मनुष्य अपने कर्तव्य भली भांति जानता है और उनका परायण पूरी निष्ठा से करता है, उस व्यक्ति की रक्षा उसके कर्मों द्वारा की जाती है.

शाब्दिक अर्थ से सामान्यतः अभिप्राय है कि जिन कार्यों को करने के लिए आंतरिक प्रतिबद्धता हो तथा बाह्य स्त्रोतों से इसका कोई लेन देन ना हो वह कर्तव्य कहलाते हैं. मनुष्य के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिन्हें पूरा करना उसे आवश्यक होता है, यही कार्य कर्तव्य कहलाते हैं. कर्तव्य शब्द कर्म और दान दो भावनाओं का सम्मिश्रण है तथा इस पर निःस्वार्थता की अस्फुट छाप है. यानि कर्तव्य वह हैं जिसमें एक मनुष्य बिना खुद के फायदे का चिंतन किये अपने कर्तव्य का पालन करता है तथा उसे अपनी जिम्मेदारी मानता है.

कर्तव्यों का आरंभ घर से ही शुरू हो जाता है, घर में पारिवारिक सदस्यों के बीच और समाज में मित्रों, पड़ोसियों, सहकर्मियों इत्यादि के बीच मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है. यह कर्तव्य कई प्रकार के होते हैं जैसे बेटे होने का कर्तव्य, विद्यार्थी का कर्तव्य, इंसान का कर्तव्य, नागरिक का कर्तव्य, प्रशासन का कर्तव्य आदि. इस संसार में जो भी चीज़ें जीवित हैं, चाहे वह आकार में छोटी हो या बड़ी, पशु, पक्षी, पेड़, पौधा या फिर मनुष्य, इन सभी को कर्तव्य का पालन करना पड़ता है. कर्तव्य शब्द ही एक ऐसा शब्द है जो हमें संस्कार, शिष्टाचार व अनुशासन का बोध कराता है, और कहीं न कहीं एक अच्छा व्यक्ति होने का प्रमाण दिलाता है.

कर्तव्यों के प्रकार : कर्तव्य मनुष्य जीवन में दो प्रकार के होते हैं-

1. नैतिक कर्तव्य: इसका आशय हमारे निजी जीवन से है, तथा इससे हमारा अभिप्राय है वह कर्तव्य जो मनुष्य के कोमल मन के प्रभावित होने के कारण उत्पन्न होते हैं, अर्थात जिनका संबंध, मानवता की नैतिक भावना, अंतःकरण की प्रेरणा या उचित कार्य की प्रवृत्ति से होता है. इन कर्तव्यों का पालन करना या ना करना मनुष्य की खुद की चेतना पर निर्भर करता है. कोई बाह्य तथ्य मनुष्य को नैतिक कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश नहीं कर सकता. नैतिक कर्तव्यों में विभिन्न दायित्वों का समावेश होता है, जैसे माता-पिता के प्रति हमारे कर्तव्य, देश के प्रति हमारे कर्तव्य इत्यादि.
2. कानूनी कर्तव्य: यह संविधान द्वारा प्रमाणित कर्तव्य होते हैं, जिनका पालन न करने पर नागरिक राज्य द्वारा निर्धारित दंड का भागी हो जाता है.

नागरिक के देश के प्रति कर्तव्य : उदाहरण स्वरूप एक बालक बहुत नीचे तबके के कुल में जन्म लेता है. परंतु उसके मन में देश के लिए कुछ करने की बहुत तीव्र इच्छा रहती है. वह हर समय यही सोचता रहता था की किस प्रकार इसे किया जाये, वह लगन से पढ़ाई करता है और कठिन दौर से गुजरने के बाद भी हार नहीं मानता और अपना घोर परिश्रम जारी रखता है. आगे चलकर यह बच्चा मशहूर वैज्ञानिक बनता है. यह बच्चा और कोई नहीं बल्कि जाने माने भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम थे. उन्हें कई विदेशी देशों से आमंत्रित किया गया, लेकिन वह अपने देश को छोड़ कर कहीं नहीं गए. यही एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य होता है, की चाहे वह जीवन में कितनी उचाइयाँ छू ले परंतु अपने देश के प्रति ईमानदार रहे और प्रेमभाव रखे.

प्रशासन के कर्तव्य : प्रशासन हमारे देश और समाज को संतुलित रखती है. प्रशासन के निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं-

- लोगों की सेवा करना व उन्हें सही कामों के लिए प्रेरित करना.
- गरीबी को मिटाना.

- आम लोगों को सुख सुविधा उपलब्ध कराना.
- शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देना .
- स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना.

कुछ तत्वों व सिद्धांतों के आधार पर हम अपने कर्तव्यों का विश्लेषण कर सकते हैं, जैसे-

1. सत्यनिष्ठा
2. जवाबदेही
3. निष्कपटता
4. ईमानदारी
5. नेतृत्व

सत्यनिष्ठा : यह एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है, यह मानव जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है.सत्य के बल पर वह जीवन में नित्य आंशिक सफलताओं के मुकाम हासिल करता जाता है, यह उस व्यक्ति को भयमुक्त बनाता है साथ ही साथ साहसी भी.

जवाबदेही : जब हम अपने जीवन में कोई फैसला लेते हैं, तो उसके सही या गलत होने के अनेक मापदंड निर्धारित होते हैं, तथा हमारे फैसले के अंतर्गत हम जवाबदेह हो जाते हैं. यही जवाबदेही का सिद्धान्त हमारे कर्तव्यों को सही मायने में परिभाषित करता है.

निष्कपटता : चित में अच्छी नियत रखने वाला व्यक्ति निष्कपट कहलाता है, यह हमारे कर्तव्य परायण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त है, अच्छी सोच से हमेशा अच्छे कर्म का परायण होता है.

ईमानदारी : यह एक प्रकार का नैतिक कर्तव्य है, जिसका निर्वाहन हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, और बताया जाता है की हमें छल कपट से दूर रहकर नैतिकता के आधार पर कर्तव्य का पालन करना चाहिए. ईमानदार व्यक्ति हमेशा जीवन में संतुष्ट रहता है .

नेतृत्व : इससे हमारा आशय है की किसी कार्य को सम्पूर्ण करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करना और सभी के मार्ग प्रशस्त करना. अगर नेतृत्व कर्ता अच्छा होता है तो समाज या संस्थान का भी उत्थान होता है. बड़े बड़े देश में नेतृत्व कर्ता हुए हैं पर उन सब में सबसे प्रमुख बनकर उभरे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिनके नेतृत्व में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई.

कर्तव्य परायण की महत्वता तथा कर्ता द्वारा उसकी रक्षा : मानव समाज की सफलता के पीछे मानव का कर्तव्य परायण मुख्य कारण है, जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को परस्पर समझता है और उसे निभाने का प्रयास करता है, तब उसकी उन्नति के साथ साथ समाज और देश का भी उत्थान होता है, और इसी उत्थान से प्रभावित हो कर मनुष्य अपने कर्तव्यों की रक्षा भी करता है.

भारतीय संस्कृति को कर्म प्रधान संस्कृति कहा जाता है- महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं- धरती हमारे कर्मों की भूमि है, कर्म के पथ पर मनुष्य को सदैव अग्रसर रहना चाहिए. हमारे जीवन में कर्तव्य और सत्यनिष्ठा से लीन बहुत उदाहरण देखने को मिलते हैं जिन्होंनें कर्तव्य के परायण के साथ साथ उनकी रक्षा करना भी सुनिश्चित किया. इसमें सबसे पहले आते हैं- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जिन्होंनें देश की रक्षा व उसकी स्वतंत्रता को अपना कर्तव्य समझा व अपना पूरा जीवन इसी में निकाल दिया. कर्तव्य परायण में भगत सिंह जी के बलिदान को कोई नहीं भूल सकता, जिन्होनें इक्कीस वर्ष की इतनी कम आयु में देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया और इसे अपना कर्म समझा. कर्तव्यपरायण महाराणा प्रताप नें भी अनेक कष्टों को सहन किया पर मुग़लों के सामने नमस्तक नहीं हुए. ठीक इसी प्रकार अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंनें कर्तव्य पालन के लिए हर मुमकिन कार्य किये तथा वीरगति तक को प्राप्त हुए.

कर्तव्य परायण से होने वाले हित :

1. यह हमें ईमानदार व भयमुक्त बनाता है– जब हम पूरी लगन से अपना काम करते हैं, और उसमें सफल भी होते हैं, तब यह भावना हमें और अत्यधिक उत्साहित करती है, अपने कर्तव्य के प्रति सच्चे व जिम्मेदार रहने की और पूरी तरह से अपने कार्य को सुगम और सफल बनाने के प्रयास में हम लग जाते हैं.
2. मनुष्य और अधिक परिश्रमी, सतर्क तथा मिलनसार हो जाता है, तथा उससे अच्छे बुरे की समझ हो उठती है, और वह व्यक्ति विनम्र हो जाता है.
3. कर्तव्य उपार्जन पुरुषार्थ और प्रतिभा पर निर्भर है. इन दोनों गुणों को बढ़ाते रहने की जिम्मेदारी जिसने समझी और उसके लिए सतत प्रयत्न किया, वह संपन्नता का अधिकारी बनता है.
4. कर्तव्य परायण के माध्यम से व्यक्ति विशेष में प्रतिबद्धता का संचार होता है साथ ही साथ वह जिम्मेदार भी बनता है.
5. इससे हमारी योग्यता का भी पता चलता है, और हम जान पाते हैं की कठिन परिस्थितियों में हम कार्य का निर्वहन कर पाते हैं या नहीं.

अतः भगवतगीता में दिया गया है –

''कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि।।''

अर्थात कर्म (कर्तव्य) करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फलों में कभी नहीं. अतः तू कर्मफल का हेतु भी मत बन, और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो.

''अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेप्युपस्थिते। न च कृत्यं परित्याज्यं एष धर्मः सनातनः।।''

चाहे प्राण त्याग करने की भी स्थिति आ जाय तो भी जो कार्य करने योग्य नहीं है उसे नहीं करना चाहिए और जो करने योग्य है उसे छोड़ना नहीं चाहिए.

आचार्य विनोबा भावे कहते हैं की कर्म वह दर्पण है जिसमें हमें हमारा प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है– अर्थात हम जैसा बनना चाहते हैं, जीवन में जैसा आचरण रखना चाहते है वैसा ही कर्म और कर्तव्य हमें कृतज्ञता के साथ करना होगा, तभी हम जीवन में सफल और खुश रह पाएंगे और संतुष्ट होने का अनुभव करेंगे.

निष्कर्ष :

इन सभी तथ्यों को देख कर यही लगता है की कर्तव्य हमारे जीवन का एक अमूल्य हिस्सा है, जो हमें करना ही पड़ता है. इन्ही से एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति के आचरण की पहचान होती है. तथा राष्ट्र हित के लिए भी यह जरूरी है. अधिकार और कर्तव्य दोनों ही महत्वपूर्ण है, अधिकारों का लाभ उठाने के साथ साथ कर्तव्यों को निभाना भी जरूरी है, इसलिए जीवन में आगे बढ़ते रहिए और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहिए.

''सौभाग्य उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है, जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचल रहते हैं''

मुंशी प्रेमचंद

श्री संजय लाम्बा
मुख्य प्रबंधक – राजभाषा
आंचलिक कार्यालय, भोपाल

निबंध 5

कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते

यह सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ध्येय वाक्य है. यह एक ऐसा आदर्श वाक्य है, जो हमारे बैंक के दृष्टिकोण, आदर्श और मार्गदर्शक सिद्धांत को व्यक्त करता है. यह पहचान पंक्ति वस्तुत: एक संक्षिप्त पाठ है, जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सोच को प्रदर्शित करता है.

हमारे सेन्ट्रल बैंक के संस्थापक सर सोराबजी एन. पोचखानावाला जी ने अपने आदर्शवाद, कड़ी मेहनत और क्षमता के साथ एक प्रतिष्ठित संस्थान को वास्तविकता में लाया.

21 दिसम्बर, 1911 को एक भारतीय द्वारा प्रबंधित एक भारतीय बैंक स्थापित की गई. गुलामी से जूझ रहे अपने देश के प्रति कर्तव्य समर्पण का इससे अच्छा उदाहरण कोई और नहीं हो सकता. तभी तो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया हर बार अपने प्रबंधन की प्रतिबद्धता और ईमानदारी पर विशुद्ध रूप से मजबूत होकर सामने आया है और उक्त पंक्तियों को यथार्थ रूप से सार्थ कर दिखाया है.

सर पोचखानावाला जी के देशभक्ति के जज्बे ने, उनकी भावनाओं ने जो मूर्त कर्तव्य स्वरूप ले लिया, उसने उस वक्त न केवल उनके भावावेश की रक्षा की है, बल्कि आनेवाली हम जैसी बैंक में काम करनेवाली कई पीढ़ियों का भविष्य, हमारा भावी जीवन भी सुरक्षित किया है. निस्वार्थ रूप से और दृढ़ निश्चय से पूरा किया गया कोई भी कर्तव्य उसे निभानेवाले कर्ता की रक्षा करता है, उसे सुरक्षित रखता है और उसके इतने मधुर फल भी देता है, यह बात सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की वजह से हम रेखांकित कर सकते है.

'कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते' की यह एक ऐसी गौरवशाली मिसाल है, जिसे सदियों तक याद रखा जा सकता है.

संसार में सभी मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सत्कार्य करते हैं. इस प्रकार के सत्कार्य ही हमारे कर्तव्य बन जाते हैं. हमारे कर्तव्य पालन करते रहने से संसार की व्यवस्था बनी रहती है.

इनसे समाज की रीति-नीतियां बनी रहती है. कर्तव्य पालन भली प्रकार से करने से हमारे जीवन में सच्चरित्र गुणों का समावेश हो पाता है. पिता-पुत्र, शिक्षक-शिक्षार्थी, राजा-प्रजा, सभी अपने कर्तव्यों के सूत्र में बंधे हुए है. ये सभी अपने-अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करें तो अपने समाज व राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं.

कर्तव्य एक दायित्व है. कर्तव्य की अवधारणा अधिकार की अवधारणा की पूरक है. किसी विशेष कार्य को करने या न करने के संबंध में व्यक्ति, संस्था या देश के उत्तरदायित्वों को कर्तव्य कहा जा सकता है. अर्थात् समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति से जिन कार्यों को करने की अपेक्षा की जाती है, वे ही उसके कर्तव्य कहलाते हैं.

अधिकार और कर्तव्य को हम एक ही रूप में देख सकते हैं. ये एक ही सिक्के के दो पहलू है. यदि कोई उनको अपनी दृष्टि से देखता है तो वो उसका अधिकार है, और यदि कोई उन्हें दूसरी दृष्टि से देखे तो वे उसके कर्तव्य है. अधिकार एक मांग है तो कर्तव्य दूसरी. जैसे कि मेरे अधिकार समाज के अन्य सदस्यों का कर्तव्य निर्धारित करते हैं और अन्य सदस्यों के अधिकार मेरे कर्तव्य को निर्धारित करते हैं. अधिकार व कर्तव्य सामाजिक कल्याण की दशाएं हैं.

कर्तव्य के नैतिक और वैधानिक ऐसे दो भेद है. नैतिक कर्तव्यों का आधार व्यक्ति की नैतिक चेतना है. इन कर्तव्यों को पालन व्यक्ति स्वत: करता है. यदि कोई व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन ना करें तो कोई भी उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता और ना कोई उसे दण्डित कर सकता है. मात्र वैधानिक कर्तव्य ऐसी जाती है, जिन्हें कानून बनाकर पालन करने के लिए बाध्य बनाया जा सकता है. इनका पालन करना या न करना व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है. पालन न होने पर यह दंडनीय भी हो सकते हैं.

नैतिक कर्तव्य वे हैं जिनका संबंध मानवता की नैतिक भावना, अंत:करण की प्रेरणा या उचित कार्य करने की प्रवृत्ति से होता है. इस श्रेणी के कर्तव्यों का संरक्षण शासन द्वारा नहीं होता है. यदि मानव इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो स्वयं उसका अंत:करण उसको धिक्कार सकता है, या समाज उसकी निंदा कर सकता है. किंतु शासन उन्हें इन कर्तव्यों के पालन के लिए बाध्य नहीं कर सकता है. सत्य भाषण, संतान संरक्षण, सद्व्यवहार, ये सब नैतिक कर्तव्यों के उदाहरण हैं.

मानवी जीवन कर्तव्यों का भण्डार है. उसके कर्तव्य उसकी अवस्थानुसार छोटे और बड़े होते है. जैसे बचपन में माता–पिता तथा परिजनों की आज्ञा मानना ही कर्तव्य कहलाता है. विद्यार्थी जीवन में गुरू की आज्ञा ही उसका कर्तव्य बन जाता है. युवावस्था में उसके कर्तव्य परिजनों, पड़ोसियों के अतिरिक्त राष्ट्र के प्रति भी हो हाते हैं. उसके कन्धों पर समाज, संस्था और राष्ट्र की उन्नति का भार आ जाता है. इनको पूर्ण करने से ही मानवी जीवन मे उल्लास, आत्मिक शांति और यश मिलता है. जो मानव लज्जा, भय, निंदा और विघ्नों की चिन्ता न करके अपने–अपने कर्तव्य पालन पर दृढ़ रहते हैं, वे अपने जीवन में सफल होते हैं. पर जो भी कर्तव्य के पथ से विचलित हो जाते हैं, उनका समाज में निरादर होता है और उनका अपयश सर्वत्र फैल जाता है.

कर्तव्य पालन करने वाली व्यक्ति का अंत:करण स्वच्छ और सरल हो जाता है. वह साहसी और निर्भिक हो जाता है. उसके जीवन में उत्साह और आकांक्षाओं की लहरें किल्लोले मारने लगती हैं. उसके शत्रु उससे कोसों दूर भाग जाते हैं. उसकी विघ्न बाधाएं उसके मार्ग को छोड़ देती हैं. उसका सर्वत्र सम्मान होता है. वह महापुरूषों के रूप में पूजा जाता है. उसकी शक्ति पर लोगों को विश्वास होता है. कर्तव्य पालन एक ऐसी वस्तु है, जिसके द्वारा अवर्णनीय आनंद को प्राप्त कर सकते हैं. अत: प्रत्येक मानव को अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य ही करना चाहिए.

परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की प्रगति का एकमात्र आधार कर्तव्य पालन ही है. कर्तव्य–पालन से ही मानव के जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान हो पाता है. समाज में उसकी यश–पताका फहराती है. कर्तव्य–पालन करने वाला मानव ही अधिकारों को पाने में सक्षम हो पाता है. इसके अतिरिक्त आत्मसंतुष्टि, परहित, सहनशीलता व आत्मविश्वास आदि सद्गुण भी इसी कर्तव्य पालन की देन है.

वैसे देखा जाए तो इस संसार में हर व्यक्ति की उसके परिवार, समाज व देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां है व कुछ कर्तव्य होते हैं. इन कर्तव्यों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्म है, उसका धर्म है. हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी धार्मिक गतिविधियों से अधिक कर्म को प्रधानता दी गई है. कर्म को योग अर्थात् पूजा का एक उत्तम प्रकार माना गया है. कहा जाता है कि जो इन्सान अपने कर्तव्यों से मुख मोड़कर ईश्वर की पूजा–पाठ में लीन हो जाता है, उसे ईश्वर भी स्वीकार नहीं करते हैं. श्रीमद्भगवद गीता में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण जी ने कर्म की महानता का बखान किया है.

वास्तविकता यही है कि यदि प्रत्येक मनुष्य अपने–अपने कर्म को पूरी निष्ठा व पूर्ण ईमानदारी से करता है, अपनी भूमिका को बखुबी निभाता है, तो वह कार्य किसी भी पूजा से बढ़कर है. जैसे शिक्षक, प्रशासक, किसान, प्रबंधक, चिकित्सक, कर्मचारी, व्यवस्थापक, विद्यार्थी, माता–पिता, पुत्र, पति–पत्नी, मित्र, पड़ोसी, कलाकार, नागरिक, आदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करते हैं,तो उनके द्वारा किया गया कर्म ही पूजा कहलाता है और यह जीवन चक्र में संतुलन बनाए रखता है. जिससे सुख, समाधान और शांति का अनुभव हम ले सकते हैं. इसमें कोई संदेह नहीं कि एक खैरियत रहती है, एक सुकुन मिलता जब कोई कर्तव्य को भावना से श्रेष्ठ मानता है और पूरी ईमानदारी और सच्चाई से उसे पूरा करता है. मनुष्य की कर्तव्य कठोरता ही उसकी रक्षक है और यह बात सौ फिसदी सच है.

देश की सुरक्षा और विकास में सभी नागरिकों को अपनी भूमिका निभाने के लिए भारतीय संविधान में भी कुछ कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें मौलिक कर्तव्य कहते हैं. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में उन सभी कर्तव्यों का जिक्र किया गया हैं, जिनका पालन करके हर व्यक्ति देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है. भारत के हर जाति धर्म के नागरिकों को उनके अधिकार उपलब्ध कराने के लिए हमें उन सभी कर्तव्यों को अपने देश के प्रति निभाने की आवश्यकता है.

भारतीय संविधान में कुछ 11 मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया हैं. उन सभी कर्तव्यों का अपना एक महत्व है जो देश के सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है. इन मौलिक कर्तव्यों का पालन करने से हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं, जहां अमन ही अमन है. यहां का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों, जैसे – राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, आदि के खिलाफ सतर्क है. जैसे मौलिक कर्तव्य नागरिकों को बढ़ावा देने, अनुशासन की सीख एवं प्रतिबद्धता के स्त्रोत के रूप में सहायता करते हैं. वैसे ही वे इस सोच को भी पैदा करते हैं कि भारतीय नागरिक केवल मूकदर्शक नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकारोक्ति में भी सक्रिय भागीदार हैं. और इनका पालन करने से हम देश में ऐसा माहौल हमारे खुद के लिए बना सकते हैं जो बेहद खुबसूरत और रहने योग्य है.

कर्तव्य नैतिक हो, वैधानिक हो या फिर मौलिक, उनका न थके, न हारे, न टाले पालन करना ही सबके हित के लिए अच्छा होता है. जैसे रोज व्यायाम करना और स्वच्छता रखने का कर्तव्य हमारे शरीर से बीमारी को कोसों दूर रखता है और हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है. रास्ते पर चलते समय या गाड़ी चलाते वक्त चौकन्ना रहने का कर्तव्य दुर्घटना होने से टाल सकता है. कार्यालय में कर्मचारी अगर अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाते हैं, तो उन्हें नौकरी की सुरक्षा प्रदान होगी. कोई भी संस्था या संगठन अपने उद्देश्य को मद्देनजर रखकर ही कार्य करें, तो उन्हें सफलता प्राप्त होगी और लोगों में उनका अस्तित्व बना रहेगा. ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जिम्मेदारी या दायित्व का एहसास हमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह एवं ईर्ष्या जैसी छह भावनाओं से बचाता है, जिससे हमारा जीवन, हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं.

यह बात एकदम साफ है कि कर्तव्य के पालन का हमारे जीवन में विशेष महत्व है. प्राय: हमें कर्तव्य मार्ग पर दृढ़ रहने की शिक्षा अपने अग्रेजों, शिक्षकों व मनीषियों से मिलती है, किंतु हम अपने कर्तव्यों को किस रूप में लेते हैं और किस हद तक अंजाम देते हैं, यह बात हम पर निर्भर करती है.

कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्तव्य पालन की परिभाषा बीतते वक्त के साथ दूषित हो गई हो और हम अपने कर्तव्यों को अहोभाव से न लेकर उन्हें भार स्वरूप ले रहे हों. कारण यह कि कर्तव्य अगर भारत स्वरूप है तो निश्चित रूप से वह थकाने वाला होगा और उसमें हमारे श्रद्धा व आस्था का कोई स्थान नहीं होगा. वहीं अहो भाव से निभाया गया कर्तव्य आनंददायक व खेल की तरह स्फूर्तिदायक साबित होगा.

अगर हम अपने कर्तव्य की पूर्ति परमात्मा को धन्यवाद देते हुए अहो भाव से करें कि उसने हमें एक अवसर दिया है तो कर्तव्य पालन हमें एक आनंद व स्फूर्ति से परिपूर्ण कर देगा. जबकि भार स्वरूप स्वीकार किया गया कर्तव्य हमें शारीरिक व मानसिक रूप से थका देगा. दूसरी बात यह है कि अहोभाव से किया गया कर्तव्य पालन हमें फलाकांक्षा रूपी दुख से दूर रखेगा, जबकि दूसरी सूरत में अगर हम बच्चों की परवरिश भी फलाकांक्षा से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में दुख ही हमारे हाथ लगेगा. इस लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना है, इस संदर्भ में आत्म–चिंतन करना आवश्यक है.

'कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते' का अर्थ हम यही निकाल सकते हैं कि कर्तव्य कर्ता की रक्षा करता है. खासकर इसमें यह राय है कि हमारे अच्छे काम ही हमारे काम आते हैं. अच्छे काम से हमें संतुष्टि मिलती है, कार्यस्थल, घर–परिवार, समाज में हमें मान–सम्मान मिलता है. अच्छे काम की हमेशा सराहना की जाती है. इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि हमारा काम कैसे बेहतरीन होगा ताकि हम हमारा संगठन, हमारा देश फले–फूले और हमेशा तरक्की करें. बस हमें अच्छा काम करने की बात ठान लेनी है और यह देखना है कि वे अच्छे कर्तव्य हमें किस प्रकार सुरक्षित रखते हैं, हमें किस प्रकार महफूज रखते हैं और यही जीवन का सारांश है.

सुश्री गौरी उदय पाथरवालकर
एसडब्ल्यूओ 'ए'
फुलम्री शाखा
क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे

निबंध 6

कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते

जब भी कर्तव्य के बारे में बात होती है तब भगवान श्रीकृष्ण ने जो भगवत गीता में बताया है वह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण संदेश है :

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि।।

अर्थात, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं. इसलिए तू कर्मों के फल पर ध्यान मत दे तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो.

'कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते' का अर्थ है की कर्तव्य करने से व्यक्ति की अपने आप सुरक्षा होती है. हर व्यक्ति का जन्म अपना कर्तव्य निभाने के लिए ही होता है. मोक्ष प्राप्ति मनुष्य का अंतिम ध्येय होता है और इसके लिए उसे सारे कर्तव्यों को निभाकर मुक्ती की कामना करनी चाहिये.

कर्तव्य यानि ड्यूटी हमारी नैतिक प्रतिबद्धताएं है यह व्यक्ति की इच्छा और अनिच्छा पर निर्भर करता है जिसमें किसी बाहरी शक्ति का दवाब कार्य न करकें वह कर्तव्य का पालन आंतरिक अन्तःप्रेरणा से करता हैं.

हर व्यक्ति का अलग अलग कर्तव्य होता है जैसे उदहारण के तौर पर –

सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता
मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्

अर्थात, मनुष्य के लिये उसकी माता सभी तीर्थों के समान है तथा पिता सभी देवताओं के समान पूजनीय होते हैं अतः उसका यह परम् कर्तव्य है कि वह उनका यत्नपूर्वक आदर और सेवा करे.

दुष्टस्य दण्डः स्वजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य हि वर्धनं च।
अपक्षपातः निजराष्ट्ररक्षा पञ्चैव धर्माः कथिताः नृपाणाम्।।

अर्थात, दुष्ट को दंड देना, स्वजनों की पूजा करना, न्याय से कोश बढाना, पक्षपात न करना, और राष्ट्र की रक्षा करना – ये राजा के पाँच कर्तव्य है.

गृहस्थानां च सुश्रोणि नातिथेर्विद्यते परम्।

अर्थात, मनुष्यों के लिए अतिथि सेवा से बढ़कर और कोई सेवा या कर्तव्य नहीं है.

जितनी सहजता से हम सांस लेते है उतनी ही सहजता से अपने कर्तव्यों को पुरा करना चाहिये एवं ऐसा करते हुए 'मैं' की भावना भी नहीं होनी चाहिये. आयु के हर कदम पर व्यक्ति का अलग अलग उत्तरदायित्व होता है. शिशु का जन्म होते हि उसके संगोपन का कर्तव्य परिवार का होता है उसी प्रकार अपने परिवार कि जिम्मेदारी का दायित्व भी बच्चों का कर्तव्य होता है. कर्तव्य के ना जाने कितने पहलु है. जैसे एक डॉक्टर का कर्तव्य अपने मरीज कि तबियत ठीक रखने का, तो एक शिक्षक का अपने बच्चों को सही अध्ययन देना.

अप्राप्यं नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः।

अर्थात, जिसके पास साहस है और जो मेहनत करता है, उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है.

मनुष्य का धर्म है की वो अपने कर्तव्य पूर्ति का निरंतर प्रयास करता रहे और ऐसा करते हुए यदि किसी साहस का सामना करना पडे तो वो मुकर ना जाए. वो अपनी कर्तव्य की राह पर निर्भयता से आगे बढता रहे.

महाभारत के दौरान हुए यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद से यह शिक्षा मिलती है कि मानव को कभी भी किसी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए. प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि किसी भी वस्तु का उपयोग उस वस्तु के स्वामी से पूछकर ही करें. ईश्वर व्यक्ति की किसी भी समय परीक्षा ले सकता है. अतः व्यक्ति को सदैव सत्य, निष्ठा और धर्म का आचरण करना चाहिए.

आईये देखें कुछ बड़े व्यक्ति कर्तव्य पर क्या कहते हैं –

- कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी भी धोखा नहीं दे सकता – प्रेमचंद
- मानव की सेवा करना ही मानव का सर्व प्रथम कर्तव्य है – विनोबा भावे
- कर्तव्य कठोर होता है भावप्रधान नहीं – जयशंकर प्रसाद

कुछ न कुछ कर बैठने को ही कर्तव्य नहीं कहते. कोई समय ऐसा होता है जब कुछ ना करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है. कर्तव्य आखिर हैं क्या? कर्तव्य एक ऐसी जिम्मेदारी है जो या तो हमें जन्म से मिलती है या फिर कुछ कर दिखाने की काबिलियत के बाद. हम चाहे जो कुछ भी हो एक सामाजिक दुनिया में रहने के कारण बहुत से कर्तव्य को निभाना हमारी जिम्मेदारी बन जाता हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदैव इन कर्तव्य से यानी की अपनी जिम्मेदारियों से भागते फिरते रहते हैं. जबकि उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं होता की जिन चीजों को करने का अक्सर वो कोई बहाना बना देते हैं या मना कर देते हैं या कुछ भी कर के उस चीज से दूर भागते हैं तो वो खुद से दूर भागते हैं, अपने विकास से दूर भागते हैं, अपनी किस्मत से दूर भागते हैं.

कर्तव्यपूर्ति निश्चय ही अनुशासन से जुडी है. जीवन में अनुशासन का सही उदाहरण देखना हो तो एक सैनिक से अवश्य मिलें. उनका अपने देश के लिए जूनून देखते बनता है. उनका अनुशासन उन्हें अपने घर–परिवार से दूर तो रखता ही है, साथ ही साथ भोजन, नींद और आराम को भी त्यागना पड़ता है. वाकई यह किसी तपस्या से कम नहीं. कर्ता के कर्तव्य करने से किस किस की रक्षा होती है यह भी एक दिलचस्प बात है.

सैनिक जब कर्तव्य निभाता है तब पूरे देश की रक्षा होती है... एक किसान जब खेती करता है तब सारे देशवासियों को खाना मिलता है... अब यहां पे हम देख सकते हैं की समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति वर्ग भी है जो अपना कर्तव्य करते करते देश तथा समाज की भी एक प्रकार से सुरक्षा करते हैं... इनका जीवन आम आदमी से निश्चित ऊपर है. एक डॉक्टर काई लोगों की जब जान बचाता है तब ना तो वो सिर्फ अपना कर्तव्य करता है जो उसका उत्तरदायित्व है बल्की वो समाज की शुद्ध सेवा से जुड़ जाता है. एक परिचारिका भी न तो सिर्फ मरीज की सेवा करके अपना कर्तव्य करती है बल्कि वो मानवसेवा का एक अनमोल उदाहरण है. कर्तव्यपूर्ति अगर स्वार्थ और परमार्थ दोनो ही साध्य करे तो और भी अच्छा. जिंदगी में मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है फिर चाहे वो दौलत हो, रिश्ते हो या जिंदगी. इसलिए कर्तव्य पथ पर मोह के ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए.

वास्तव में कर्मयोग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं. कर्मयोग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है. इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं. इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है. इस विषय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता कि मनुष्य किसी भी काल में क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रह सकता, क्योंकि सभी मानव प्रकृतिजनित गुणों के कारण कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं. मनुष्य को न चाहते हुए भी कुछ न कुछ कर्म करने होते हैं और ये कर्म ही बन्धन के कारण होते हैं. साधारण अवस्था में किये गये कर्मों में आसक्ति बनी रहती है, जिससे कई प्रकार के संस्कार उत्पन्न होते हैं. इन्हीं संस्कारों के कारण मनुष्य जीवन–मरण के चक्र में फंसा रहता हैं. जबकि ये कर्म यदि अनासक्त भाव से किये जाते हैं तो यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बन जाते हैं.

कर्म से व्यक्ति बंधन में बंधता है किन्तु गीता ने कार्य में कुशलता को योग कहा है. योग की परिभाषा देते हुए गीता में कहा है –

''योग: कर्मसु कौशलम''

अर्थात्, कर्मों में कुशलता ही योग है. कर्मयोग साधना में मनुष्य बिना कर्म बंधन में बंधे कर्म करता है तथा वह सांसारिक कर्मों को करते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है. कर्मयोग का गूढ़ रहस्य अर्जुन को बताते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन! शास्त्रों के द्वारा नियत किये गये कर्मों को भी आसक्ति त्यागकर ही करना चाहिए क्योंकि फलासक्ति को त्यागकर किये गये कर्मों में मनुष्य नहीं बंधता. इसीलिए इस प्रकार वे कार्य मुक्तिदायक होते हैं. कुछ लोगों का मानना है कि फल की इच्छा का त्याग करने पर कर्मों की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि कर्म तो कर्तव्य की भावना से किये जाते हैं तथा यही कर्मयोग भी सीखाता है.

भगवदगीता में तीन प्रकार के कर्म बताये है जो इस प्रकार है –

1. कर्म – शास्त्र के अनुकूल, वेदों के अनुकूल किये गये कर्म.
2. अकर्म – आपके द्वारा अपेक्षित कार्य को ना करना .
3. विकर्म – अर्थात जो निशिद्ध (पाप) कर्म है वह विकर्म है.

महर्षि पतंजलि ने कैवल्यपाद के सातवें सूत्र में कर्म के भेद बताये है. कर्म के चार भेद है –

1. शुक्लकर्म – जो कर्म श्रेष्ठ है अर्थात वेदों में बताई गई विद्याओं के आधार पर जो कर्म किये जाते है. इस शुक्ल कर्म से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है.
2. कृष्ण कर्म – जो कर्म पाप कर्म है उन्हे कृष्ण कर्म कहा है. अर्थात शास्त्र विरूद्ध पापकर्मो को कृष्णकर्म कहा गया है. इन कृष्ण कर्मो से दुख तथा नरक की प्राप्ति होती है तथा इन कर्मो के फलों को जन्म जन्मान्तर तक भोगना पड़ता है.
3. शुक्लकृष्णकर्म – ऐसे कर्म जो पाप व पुण्य के मिश्रण हो. कहा गया है कि शुक्लकृष्णकर्म से पुन: मनुष्य को जन्म की प्राप्ति होती है.
4. अशुक्लकृष्णकर्म – जो न तो पाप कर्म हो न पुण्य कर्म और न पाप–पुण्य मिश्रित कर्म हो इन सब से भिन्न ये कर्म निष्काम कर्म है क्योंकि ये कर्म किसी भी कामना के नहीं किये जाते है. इन कर्मों को करने से अंत:करण की शुद्धि होती है. अंत:करण शुद्ध पवित्र तथा दर्पण की भाँति स्वच्छ छवि वाला निर्मल बन जाता है. शीघ्र ही ऐसे साधक को वास्तविक तत्व ज्ञान (आत्मा के ज्ञान) की प्राप्ति होती है या अन्त में निश्चित उसे कैवल्य की प्राप्ति होती है.

यहां हम ये सारे उदाहरण इसलिये दे रहे हैं क्योंकी ये विषय अपने आप में बहुत बड़ा है... एक इंद्रधनुष की भांती इसके कई रंग और सुंदरता भी है... और भूत तथा वर्तमान के सन्दर्भों को जानना इस विषय के लिए अनिवार्य है.

'कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते'.... स्वयं एवं समाज की रक्षा करने हेतु अपना कर्तव्य ही हर एक व्यक्ति ने सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए.... कर्मों की गुंज शब्दों की गुंज से भी उंची होती है.

सुश्री लीना शेवडे
वरिष्ठ प्रबंधक
(महाप्रबंधक की निजी सहायक)
अनुपालन विभाग

निबंध 7

कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते

प्रस्तावना :

संस्थाओं के विकास में मानवीय मूल्यों एवं मानव का अभूतपूर्व स्थान है. सृजन एवं अपभ्रंशन, विकास एवं विनाश की प्रक्रिया प्रतीक स्वरूप में सतत संचालित रहती है. संस्थाओं का समाकलित विकास मानव के उत्कृष्ट विचारों, क्रियाओं, एवं परिष्कृत व्यक्तित्व एवं उसकी सटीक भावनाओं की संतुष्टिपर अभिकेन्द्रित रहता है. सेवा उद्योग की सफलता में मानव संसाधन विकास एक महत्वपूर्ण पहलू है. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कर्मचारियों की मौजूदा कार्यकुशलता बढ़ाकर उन्हें और बड़ी जिम्मेदारियां संभालने, उनके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन लाने तथा बेहतर व कुशल ढंग से अपना कार्य करने में सक्षम बनाती है.

मानव संसाधन तेल क्षेत्र के समान है, खान खोदे या फिर रेगिस्तान से संतुष्ट रहें. कर्मचारी संस्थाओं के वे मूल आधार है जिन पर उनका सर्वतोमुखी विकास निर्भर होता है. जो संस्थाएं इस क्षेत्र में सौभाग्यशाली है, उनकी प्रगति द्रुत गति से अवलोकित की जा सकती है. इसलिए संस्था की विकासात्मक प्रक्रिया में कर्मचारियों का सघन सहयोग अपेक्षित ही नहीं अपितु अनिवार्य हो गया है. किसी भी व्यवसाय की सफलता में उस संस्थान के मानव संसाधन का बड़ा योगदान होता है.

'कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते' यह संस्कृत की उक्ति मानव संसाधन का गुरुमंत्र बताती है. हर कर्मचारी संस्थान की माला का एक मोती जैसा होता है. एक ओर संस्थान के काम को अपना काम समझे यह कर्मचारी की जिम्मेदारी अर्थात् कर्तव्य होता है. तो दूसरी ओर कर्तव्य कर्मचारी की अर्थात् कर्ता की रक्षा करता है. ड्यूटी प्रोटेक्ट्स द डुअर. आइएं 'कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते' उक्ति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं,

ऐतिहासिक पार्श्वभूमि –

हम सब जानते हैं, श्रीमद्भगवतगीता में श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्मयोग का ज्ञान दिया है.

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भुर्जा ते संगोअस्त्वकर्माणि ।।

अर्थात् तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं. इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो.

श्रीमद्भगवतगीता के इस मूल श्लोक का सही अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं. अधिकांश लोग समझते हैं कि बिना किसी इच्छा के कर्म में लगे रहो, फल की चिंता न करो, सफल हो जाओगे, अगर इसकी व्याख्या इतनी सरल होती तो श्रीमद्भागवत कथा करने में सात दिन का समय न लगता, इसके समझने के लिए मात्र पांच मिनट का समय पर्याप्त होता.

कर्म–फल की प्राप्ति का आधार दृढ़ इच्छा शक्ति ही होती है जो कार्य में आनेवाली बाधाओं को दूर करने के लिए अनिवार्य है. गीता–भाष्यकारों के अनुसार कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए और कार्य के बीच आनेवाले विचलनों पर भी समयोचित विचार करना चाहिए. एक बार जब आपने किसी कार्य को करने का निर्णय ले लिया तो फिर फल की इच्छा के बगैर अपना काम अनवरत रूप से करते रहना चाहिए. जिससे सफलता के अवसर कई गुना बढ़ जाते है. मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ध्यानपूर्वक एकाग्र होकर कार्य करने पर कम

समय में अधिक कार्य होता है और गलतियों की संभावना कम होती है. सामान्य दबाव की स्थिति में अधिक उर्जा के साथ कार्य संपन्न होता है, लेकिन जैसे ही अनावश्यक चिंता से यह दबाव का स्तर ज्यादा होता है, हमारी कार्यक्षमता में कमी होने लगती है.

भगवान गणेश जी कर्ता के कर्तव्य हेतु प्रेरणास्थान –

भगवान गणेश जी का बड़ा सिर हमें फायदेमंद बातें सोचने के लिए प्रेरित करता है. उनके बड़े कान हमें विचारों और सुझावों को धैर्यपूर्वक एवं ज्यादा सुनने की सीख देते है. उनकी छोटी आंखे हांथ में लिए कार्यों को उचित ढंग से और जल्दी पूरा करने की ओर इशारा करती है. उनकी लंबी नाक हमें अपने चारों ओर की घटनाओं की जानकारी और ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित करती है. उनका छोटा मुंह हमें कम बोलने की याद दिलाता है. भगवान गणेश जी के यह सारे गुण कर्ता के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा स्थान है.

भारतीय परिवेश में अविभाजित हिन्दू परिवार का 'कर्ता' न केवल पूरे कुटुम्ब को साथ लेकर चलता है बल्कि हर सदस्य के हितों को समझते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है. यह सच है कि इसकी पृष्ठभूमि अमेरिका के वाटरगेट कांड से जुड़ी है, लेकिन आज यह संकल्पना 'हॉट केक' की तरह 'टॉक ऑफ दि टाऊन' हो गई है.

हजारों वर्षों पहले रची गयी ऋग्वेद की एक ऋचा 'संगच्छध्वं संबदध्वम्' का भावानुवाद है 'साथ चलें, मिलकर सोचे, बौद्धिक क्षमता एकाकार करें, कोई द्वेष ना हों, सम्मिलित प्रज्ञा उज्वलित हो, प्रगति को साकार करें'. यह ऋचा कर्ता के कर्तव्य को परिभाषित करती है. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी समाज में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए आचार संहिता का वर्णन मिलता है.

हममें से ज्यादातर लोग दूसरे के कार्यों का अंधानुकरण करते हैं जबकि सफलता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कार्यक्षमता और उपलब्ध संसाधनों का शत–प्रतिशत उपयोग करते हुए महान दार्शनिक सुकयत के सिद्धांत 'अपने को देखो' का पालन करना चाहिए.

कर्ता के लिए कर्म में सफलता का मूलमंत्र –

माना कि जीवन में धन का बड़ा महत्व है. 'धनहिन: स्वपत्क्यापि त्यज्यतें किं पुन: परे:।' अर्थात् धनहीन मानव का उसकी पत्नी भी त्याग कर देती है तो फिर दूसरों की क्या बात? इतना ही नहीं 'धनहीनं जनं दृष्टा सखापि हि पलायते।' अर्थात् धनहीन मानव को देखकर मित्र भी भाग जाते हैं.

कई बार हम मोह में आकर पाप कर्म करते हैं. सोचते हैं ... यह तो हमने अपने घनिष्ठ मित्र अथवा परिजन के लिए किया. पर सदा याद रखें .... कर्म में कोई भी भागीदार नहीं होता. कोई भी बुरा कर्म केवल कर्ता को ही भोगना पड़ता है. वालिया डाकू इस बात का उचित उदाहरण है.

वृत्तं यत्नेन संरक्ष्येद् वित्तमेति च याति च।
अक्षीणो वित्तत: क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हत:।।

अर्थात् मनुष्य को चाहिए कि सदाचार की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करें, वित्त तो आता जाता रहता है. धन से क्षीण मनुष्य वस्तुत: क्षीण नहीं होता, बल्कि सदाचार हीन मनुष्य हीन होता है. पर धर्मपूर्वक कमाया गया धन ही अपने, समाज की और पूरे देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है. अधर्मपूर्वक कमाया गया धन तीनों के लिए अहितकर होता है.

निस्संदेह धन से आप जितने मर्जी कर्मचारी हासिल कर लेंगे, परंतु व्यवसाय का सफल प्रबंधन केवल श्रेष्ठ व समर्पित कर्मचारियों से ही किया जा सकता है. जो कर्मचारी धन से ज्यादा काम से प्रेम करता हो और जो काम की पूजा व सम्मान करता हो, ऐसे कर्मचारी को तैयार करना आवश्यक है. व्यवसाय एक जटिल मशीन की भांति होता है और इसे चलाने के लिए समस्त हिस्से और पुरजे मिल-जुल कर कार्य करते हैं. आइएं, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कर्तव्य किस तरह कर्ता की रक्षा करता है.

कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते –

'विघ्नभय', 'खतरा', 'जोखिम' ये ऐसे शब्द हैं, जो हमें जीवन में अच्छा-से-अच्छा कार्य करने से रोकते हैं. सच तो यही है कि इन विघ्नों को पूरी तरह से समाप्त भी नहीं किया जा सकता, इनका सिर्फ प्रबंधन किया जा सकता है.

'प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचै :
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्या:।
विघ्ने: पुन: पनरपि प्रतिहन्य माना :
प्रारब्धमुत्तभजना न परित्यजन्ति :।। '

अर्थात् निम्न श्रेणी के लोग विघ्नों के डर से कार्य शुरू नहीं करते हैं, मध्यम श्रेणी के लोग कार्य शुरू कर के विघ्न आने पर कार्य छोड़ देते हैं लेकिन उत्तम श्रेणी के लोग बार-बार विघ्न आने पर भी जो कार्य शुरू किया है, उसे नहीं छोड़ते. किसी भी कार्य में विघ्न या जोखिम होने की संभावना बनी रहती है पर उसके भय से कार्य शुरू नहीं करने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है. उस विघ्न या जोखिम के प्रबंधन की प्रणाली जितनी सशक्त होगी, हम अपने कार्य का दायरा उतने ही अधिक विश्वास के साथ बढ़ा सकेंगे और देश की उन्नति में, अर्थव्यवस्था के विकास में उतना ही अधिक योगदान दे सकेंगे.

बेहतर प्रबंधन के लिए मानव संबंधों के बुनियादी सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आप जिस तरह मित्र बनाते हैं, वैसे ही कर्मचारी भी बना सकते हैं. प्रभावशाली प्रबंधन मानव विकास में एक निवेश है. प्रेरणादायी चीनी कहावत के अनुसार 'यदि आप एक वर्ष तक खुशी चाहते है तो मक्का उगाइए, यदि आप तीन वर्ष तक खुशी चाहते है तो पेड़ उगाइए, यदि आप दस वर्ष तक खुशी चाहते है तो मनुष्य उगाइए यानी तैयार किजिए'. मनुष्य उगाना? उनकी खेती करना? अर्थात् लोगों के साथ घुलने-मिलने तथा उनका कुशल प्रबंधन करने के लिए आपको मनुष्यों का माली होना चाहिए.

'योग कर्मसु कौशलम।'

गीता के इस श्लोक के दो अर्थ हो सकते है – 'कर्मसु कौशलम योग।' अर्थात् कर्मों में कुशलता ही योग है अथवा 'कर्मसु योग: कौशलम' अर्थात् कर्मों में योग ही कुशलता है. यदि प्रथम अर्थ लिया जाए तब तो कुशलतापूर्वक की गयी चोरी आदि भी योग की संज्ञा पा जाएंगे, अत: दूसरा अर्थ ही सही प्रतीत होता है, अर्थात् कर्मों में योग ही कुशलता है. यहां प्रश्न यह है कि योग क्या है ? इसके बारे में गीता में कहा गया है कि –

योगस्थ कुरू कर्माणि संगम व्यक्त्वा धनंजय।
सिध्द सिध्या: सभो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।।

अर्थात् सिद्धि असिद्धि में समता में रहकर कर्म करना ही योग है, यही कर्म की कुशलता और उसकी

सार्थकता है. इस कौशल के साथ जब कोई कर्म किया जाएगा तो सफलता की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होगी.

आप चाहे छोटा, मध्यम विशाल कारोबार अथवा घर चलाते हो, सभी मामलों में जन -प्रबंधन करने के सिद्धांत, धारणाएं, स्वभाव व दक्षता एक जैसी होती है. हम चाहे व्यवसायी हो या पेशेवर, या फिर गृहिणी, हमें अपने परिवार के सदस्यों, संबंधियों, मित्रों और सहकर्मियों का भी प्रबंधन करना पड़ता है. लोगों के प्रभावी प्रबंधन के लिए उनसे घुलने-मिलने की बहुत जरूरत है. कुछ लोगों में मिलनसार होने का जन्मजात गुण होता है परंतु यह एक कला भी है, जिसे सीखा जा सकता है.

सर्वोत्तम कर्ताओं की कामयाबी का राज यह है कि उन्होंने सहमति, धैर्य, दृढ़ता और हास्य के साथ मिलने-जुलने की कला सीख ली है. सार्थक बातचीत 'खुल जा सिम सिम' के समान है. 'श्रेष्ठ संप्रेषण' कर्ता द्वारा प्रयोग किया गया ब्रम्हास्त्र है. कर्ता को केवल श्रेष्ठ या सर्वोत्तम नहीं अपितु सर्वश्रेष्ठ हतखंडों की विस्तृत जानकारी आवश्यक है.

उपसंहार -

चाणक्य के चार सूत्र जो नहीं है उसे पाना, उसकी रक्षा करना, उसका विकास करना और उसे सही रूप में वितरित करना - यही है सफलता की विशेषताएं जो अपने नाम को सामाजिक सरोकार से जोड़ती है. मनुष्य के अंदर उसकी भावना, उसके विचार ही महत्वपूर्ण होते हैं. सच पूछिएं तो मनुष्य बना ही विचारों से है. गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि मनुष्य की भावनाओं के अनुरूप ही उसे सिद्धियां प्राप्त होती है. मनुष्य यदि अपने देवत्व को जगा ले और अपने दानवत्व को मार डाले तो आज भी वह वालिया डाकू से वाल्मिकी ऋषि बन सकता है. लेकिन आवश्यकता है तो बस इच्छा-शक्ति की, आत्मविश्वास की, दृढ़ संकल्प की और फिर मानसिकता में परिवर्तन की. वालिया डाकू ने अपने इच्छाशक्ति के बल पर कठोर तप किया और अपने विचारों को परिवर्तित करके अपनी दिव्य दृष्टि से रामजन्म के पूर्व ही रामायण की रचना कर डाली. यदि इच्छाशक्ति प्रबल हो तो मनुष्य अपना रास्ता स्वयं बना लेता है. यह विचार ही थे जिन्होंने नरेन्द्र को विवेकानंद बना दिया.

कर्ता भी, मानवी प्राणी है. मानव सुलभ चेष्टायें, क्रियायें, इच्छायें, भावनायें उसके कार्य को प्रभावित करती है. आज के वास्तविक जीवन में अगर हम इस प्रकार विचार करें तो यह कार्य एक डॉक्टर की तरह निभाना है. किसी व्यक्ति को कौन-सा रोग है, किस रोग में कौन-सी दवा ज्यादा उपयुक्त होगी, वह दी जाती है. कभी-कभी किसी रोग में जहर भी चेतावनी होती है, वह भी दिया जाता है. मुस्कुराना तो सौ विपत्तियों का हल है. अनुकरण के बंधे बंधाये दायरे से बाहर निकलकर 'हम भी कुछ है और हमारी भी एक पहचान है' यह अहसास होना चाहिए. शुरूआत हो तो लक्ष्य तो मिल ही जाता है, क्योंकि जो दूसरों से पहले सोचता है वो नि:संदेह कामयाब होता है.

कर्तव्येन कर्तांमि रक्षयते .

सुश्री मीरा कोठावले
सहायक प्रबंधक
सर एसपीबीटी महाविद्यालय,
मुंबई

निबंध 8

कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते

(कर्ता को अपने कर्तव्य की रक्षा करनी चाहिए अर्थात् हमें अपने कर्तव्यों का भान होना चाहिए तथा निष्ठापूर्वक एवं सम्पूर्ण सामर्थ्य से उनका पालन करना चाहिए. दूसरे शब्दों में कर्तव्य ही कर्तव्य की रक्षा करता है.)

सामान्यत: कर्तव्य शब्द का अभिप्राय उन कार्यों से होता है जिन्हें करने के लिए व्यक्ति नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होता है या कानूनी रूप से उत्तरदायी होता है. वस्तुत: व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा, अनिच्छा या केवल बाह्य दबाव के कारण ही नहीं करता है अपितु आन्तरिक नैतिक प्रेरणा के कारण भी करता है राष्ट्र की सीमाओं पर विपरीत जलवायु एवं शत्रु के कुत्सित इरादो से मातृभूमि की रक्षा करने वाला सजग प्रहरी सैनिक मात्र इसलिए अपनी जान हथेली पर रखकर अपने दायित्व एवं कर्तव्य का पालन नहीं करता है कि इसके लिए उसे वेतन मिलता है बल्कि इसके पीछे उसकी देशभक्ति संपन्न आन्तरिक नैतिक कर्तव्य निष्पादन भावना एवं प्रेरण विद्यमान रहती है जो उसे निरन्तर अभिप्रेरित एवं उत्साहित करती है. वह इसे अपना परम कर्तव्य मानता है. समाज एवं राज्य/ राष्ट्र द्वारा व्यक्ति से निम्न कार्यों को करने की अपेक्षा की जाती है, वे ही उसके कर्तव्य कहलाते है. उस वीर सैनिक को अपने कर्तव्य का भान होता है और इसके लिए वह सर्वोच्च बलिदान देने से भी नहीं चूकता. वस्तुत: ऐसा करने में उसके मन में अपने कर्तव्य की रक्षा करने की भावना प्रबल रूप से विद्यमान रहती है.

कर्तव्य को जीवन क्षेत्र में दो भागों में विभाजित किया जा सकता है –

(क) नैतिक – जिनका संबंध मानवता की नैतिक भावना, अंत:करण की प्रेरणा या उचित कार्य की प्रवृति से होता है. इनके पीछे कोई कानूनी शक्ति की बाध्यता नहीं होती.

(ख) कानूनी – जिनका संबंध राज्यान्तर्गत निर्धारित नियम आदि से होता है. तथा जिनका पालन न करने पर उस राज्य का नागरिक राज्य द्वारा निर्धारित दण्ड प्राप्ति का भागी होता है.

कर्तव्य के उक्त स्वरूप को निम्नांकित शीर्षो/ क्षेत्रों के अंतर्गत देखा जा सकता है

नैतिक	कानूनी
1. आत्म नियंत्रण 2. स्वचरित निर्माण 3. स्वास्थ्य रक्षा – निजी एवं सामरिक 4. सात्विक/सरल जीवन यापन करना एवं उच्च वैचारिकता बनाए रखना, सत्याचरण रखना. 5. आदर्श दिनचर्या/ व्यवहार रखना 6. शिक्षा / ज्ञान प्राप्ति करना / स्वाध्याय 7. जीविकोपार्जन- सत्याकृत एवं सामाजिक रूप से स्वीकृत स्वरूपानुसार 8. परिवार पालन 9. सामाजिक जीवन को संतुलित रखना एवं सुसंस्कार/ मर्यादा पालन 10. सुयश अर्जित करना 11. समाज में शांति एवं सोहार्द स्थापित रखने में योगदान देना, अन्य धर्मों एवं तत्संबंधित विश्वासों का अनादर न करना.	1. देश के संविधान एवं कानूनों का पालन एवं सम्मान करना. 2. देश रक्षा में सचेत रहना राष्ट्रीय चेतना जागृत करना 3. कर अदायगी करना 4. सार्वजनिक संपति की रक्षा करना तथा सामाजिक शान्ति बनाए रखने में सहयोग देना. (कानूनी कर्तव्य का पालन राज्य व्यवस्था एवं सुशासन स्थापित किए जाने की दृष्टी से अपेक्षित है तथा इसकी अवहेलना अथवा अनुपालन दंड का कारण बनता है.)

इनमें अंतर आदि यही है कि एक का पालन करने में दण्ड का प्रावधान नहीं है जबकि दूसरे का पालन न करने पर शासन दण्ड मिल सकता है.

वस्तुत: केवल बाह्य कार्यों के आधार पर कर्तव्य की व्याख्या नही कीं जा सकती है. सनातन हिन्दू धर्म का पालन करने वालों के लिए वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियां, नीति ग्रंथ आदि में लिखी गई अपेक्षाएं कर्तव्य है तो कुरान शरीफ में लिखी हुई इस्लाम के अनुयायिों के लिए तथा बाइबिल में लिखी हुई ईसाइयों के लिए कर्तव्य की श्रेणी में आती है. संक्षिप्तत: हमारे सत्कर्म भी हमारे कर्तव्य हैं. जो कार्य हमें/हमारे संगठन को नीचे गिराते हैं, वह कर्तव्य नहीं है. पुण्यकर्म ही कर्तव्य हैं, अपनी सामाजिक अवस्था के अनुरूप हमारी आत्मा एवं मन एवं संगठन को उन्नत बनाने वाले कर्म ही हमारे कर्तव्य हैं. इसी में सभी की उन्नति निहित है.

वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में मनुष्य प्रत्येक दृष्टी से परस्पर रूप से एक दूसरे पर निर्भर है. यही बात कर्मचारी एवं संगठन के संदर्भ में देखी जा सकती है. वैज्ञानिक विकास के समान्तर निरंतर प्रगतिशील पथ पर अग्रसर मनुष्य की अपेक्षाएं सीमित दायरे में रहते हुए पूरी नहीं हो सकती है. 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की धारणा सार्वभौमीकरण एवं 'ग्लोबलाइजेशन' के तहत आज महत्वपूर्ण दिखाई देने लगी है. ऐसे में मनुष्य यदि अपने कर्तव्य-अकर्तव्य संबंधी विवेक को त्याग देता है तो भयंकर विनाश की कल्पना सहज ही की जा सकती है. कोविड-19 महामारी का विनाशक रूप हाल ही में देखने में आया है और अभी समाप्त हुआ भी नहीं है. हम एक बार विचार करके देखें कि यदि

इस दौरान उक्त आपदा का सामना करने के लिए तैयार की गई वैक्सीन का विकास करने के लिए दिन-रात एक कर देने वाले वैज्ञानिक अपने कर्तव्यपालन का निर्वाह न करते तो क्या होता? अस्पतालों में दिन-रात बीमार व्यक्तियों का इलाज करने वाले डॉक्टर एवं चिकित्साकर्मी जो भीषण गर्मी में कोरोना किट पहने और अपनी जान की परवाह किए बिना अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे थे, अपने कर्तव्य से विमुख रहते तो क्या हो सकता था? देश के प्रथम नागरिक से लेकर एक आम आदमी तक उनका शुक्रगुजार है. देश के रक्षा कर्मी, सुरक्षा तंत्र, प्रशासन एवं अन्य मार्गदर्शक व्यक्तियों ने अपने कर्तव्य का पालन किया, मिलजुलकर दुनिया विपदा का सामना कर सकी. यह सबके द्वारा किए गए स्वकर्तव्य पालन के बल पर ही संभव हो पाया.

कर्तव्यपालन के सात्विक परिणाम मात्र विपदा प्रबंधन तक ही सीमित नहीं माने जा सकते हैं. सामाजिक शान्ति, प्रशासनिक सुव्यवस्था स्थापन एवं संचालन, वैयक्तिक एवं राष्ट्रीय विकास, सुशासन, राष्ट्रीय एवं वैश्विकश सुरक्षा, कुरीति एवं कुप्रथा उन्मूलन सभी पहलू इसके परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं. उदाहरण के लिए यदि एक अध्यापक निष्ठापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के अपने कर्तव्य का पालन न करे तो फलस्वरूप कितने ही छात्रों का जीवन कुप्रभावित हो सकता है और फिर उन शैक्षिक रूप से कुप्रभावित हुए छात्रों की गतिविधियों एवं अकार्यों का कहां तक दुष्प्रभाव पड़ेगा, सोच भी नहीं सकते हैं. एक दवा निर्माता यदि स्वार्थ एवं अहितकारी लाभार्जन की नीयत से दवा की गुणवत्ता से समझौता कर लेता है तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं. अन्य संदर्भ में भी यह बात सोची और समझी जा सकती है .

श्रीमद्भगवतगीता में भगवान कृष्ण ने कर्मयोग का विशिष्ट महत्व प्रतिप्रादित करते हुए कहा है कि :

I) नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भभात्॥
(अध्याय २/४०)

(इस कर्मयोग में आरम्भ का अर्थात् बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है. बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोडा सा भी साधन जन्म-मृत्यु रूप के महान भय से रक्षा कर लेता है)

ii) कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्या ते संगोस्त्वकर्मणि॥
(अध्याय २ /४७)

(तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलो में कभी नहीं. इसलिए तू कर्मो के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो.)

iii) योगस्थ : कुरू कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय।
सिद्धसिद्धियों: समो भूत्वा समत्वं येाग उच्यते॥
(अध्याय २ /४८)

(हे धनंजय तू आसक्ति को त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धिवाला होकर योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मो को कर, समत्व (जो कुछ भी कर्म किया जाए, उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम ही 'समत्व' है) ही योग कहलाता है.)

कर्मयोग के साथ-साथ यहां कर्तव्यपालन की ओर भी स्पष्ट संकेत है. वस्तुत: व्यक्ति के लिए आज का

जीवन जितना सुविधा संपन्न है और होता जा रहा है, उतनी ही उसकी इच्छा, लालसा, बैचेनी, दु:ख और संताप भी अभिवृद्धित हो रहे हैं. सुखमय जीवन की चाहत की पूर्ति कर्तव्यपालन में ही निहित है और कर्तव्यपालन भी ऐसा जिसमें फलप्राप्ति की कामना केन्द्रस्थ न हो ताकि मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उर्जा को अभिकेन्द्रित कर सही कर्तव्यपथ पर अग्रसर हो सके तथा शुभकर्मपथ पर रहते हुए आत्मकल्याण एवं पर कल्याण का हेतु सिद्ध हो).

कर्तव्यपालन के श्रेष्ठ मार्ग पर अग्रसर होने एवं कर्तव्य की रक्षा के निमित्त कर्ता (मनुष्य) के लिए विभिन्न अपेक्षाओं/आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अर्जन नितांत आवश्यक है, जिन्हें निम्नानुसार देखा जा सकता है:-

i) शिक्षा/दीक्षा - प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रम के तहत व्यक्ति के लिए नैतिक एवं विभिन्न विषयक आध्यात्मिक शिक्षा भी समुचित तौर पर शामिल हो. उदाहरण के लिए एक समय मेरठ विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर प्रत्येक छात्र के लिए 'भारतीय धर्म एवं संस्कृति' का एक अनिवार्य पेपर उत्तीर्ण करना आवश्यक था. कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव छात्रों के जीवन में देखने को मिला.

ii) सुसंस्कार - भारतीय संस्कृति एवं तद्निहित मूल्यों की अवहेलना एवं पाश्चात्य भौतिकतावादी विचारों तथा जीवन शैली का अन्धानुकरण निश्चित रूप से घातक सिद्ध हुआ. जीवन मूल्यों का तेजी से ह्रास हुआ है तथा कर्तव्यबोध का लोप होने लगा है. स्थिति की विकरालता इस बात से समझी जा सकती है कि उच्चतम न्यायालय को निर्णय देना पडा कि अपने बुजुर्ग आश्रितों की देखभाल करना व्यक्ति/नागरिक का विधिक कर्तव्य माना जाएगा. और भी बहुत से पहलू हैं जो रोजाना के जीवन में देखने को मिल रहे हैं.

iii) व्यसन आसक्ति से दूरी, आचरण की शुचिता/मर्यादापालन - व्यक्ति इसे भूलने लगा है; अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के नाम पर क्या हो रहा है- सर्वविदित है. किसी अन्य व्यक्ति की आस्था/ धर्म/ विश्वास पर आघात करना अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता नहीं माना जा सकता. यह तो कर्तव्य विमुखता है जिससे चारों ओर अंशाति का विस्तार हो रहा है. व्यसनासक्त होने से मनुष्य का मन कर्तव्यबुद्धि से भ्रष्ट होता है.

iv) सत्साहस का अभाव/दोहरा चरित्र - सच को सच कहने एवं सच का साथ देने संबंधी कर्तव्य का लोप होता जा रहा है. समाज में अवसरवादिता एवं स्वार्थपूर्ण व्यवहार बढ़ रहा है और यह कर्तव्यहीनता व्यक्ति विशेष ही नहीं किसी भी समाज/ राष्ट्र के लिए घातक है.

नैतिक क्षेत्र हो या कानूनी दायित्वों/कर्तव्यों का अनुपालन, दोनो प्रकार कर्तव्यपालन में बरती गई उत्तरदायित्वहीनता केवल कर्ता ही नहीं बल्कि समाज एवं राष्ट्र के लिए भी अकल्याणकारी है. इसके निम्नांकित कुछ बिंदुओं के तहत संक्षिप्तत: देखा जा सकता है:

अ) फलस्वरूप सामाजिक अराजकता, मर्यादाहीनता फैलती है. कुसंस्कारो एवं अनाचार- दुराचार का विस्तार होता है. पाशविकता मनुष्यता पर हावी हो जाती है.

आ) राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है. राष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्वतन्त्रता विषयक संकट उत्पन्न हो सकते हैं. जंगलराज की आंशका उत्पन्न होती है. अवसरवादिता, असमानता एवं पारस्परिक विद्वेष उत्पन्न होते हैं. भ्रष्ट आचरण होने लगता है.

इ) धार्मिक संकट/मूल्य संकट (नैतिक परिप्रेक्ष्य) उत्पन्न होते हैं.

ई) आर्थिक विषमता, बेईमानी बढ़ती है.

उ) सामूहिक/राष्ट्रीय प्रगति अवरूद्ध हो सकती है. विकास की प्रक्रिया धीमी हो सकती है बल्कि कहा जाए कि पतन होने लगता है.

स्वकर्तव्य की रक्षा न करने यानी कर्तव्य का पालन न किए जाने के दुष्परिणाम व्यापक रूप से अहितकारी सिद्ध होते हैं. यह कहकर वस्तुस्थिति को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कुछ लोगों द्वारा कर्तव्यपालन न किए जाने से समाज या राष्ट्र का कुछ नहीं बिगडता. वस्तुत: यह संक्रामक रोग की तरह है जो एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचकर उसकी मानसिकता को दूषित करता है और विकृतिपरक अहित का प्रसारक बनता है. दोनो प्रकार के कर्तव्यों के पालन में सत्यनिष्ठा का होना अनिवार्यत: अपेक्षित है– इसी से व्यक्ति, राष्ट्र एवं संगठन की रक्षा होती है. वस्तुत: ऐहिक कर्तव्यपालन के साथ– साथ मानसिक उत्कर्ष का रूप, धर्म (धार्यते धर्म: यानी जो धारण करने योग्य है, वही धर्म है.) का अनुष्ठान, राजनियमों का पालन और राष्ट्र की कामनाओं की पूर्ति राज्यैश्वर्य को भी स्थिरता प्रदान करती है.

सत्यनिष्ठ व्यक्तियों का हार्दिक संबंध कर्तव्य के बाह्यस्वरूप से होकर केवल उसके कल्याणकारी निश्चयात्मक रूप के साथ होता है. कर्तव्यशील व्यक्ति कार्य की आवश्यकता/अपेक्षानुरूप स्वविवेक एवं निश्चयात्यिका बुद्धि से उपयुक्त साधनों का निर्णय कर लेता है तथा निरपेक्ष रूप से स्वयं को अपने कर्तव्य में संलग्न कर लेने में सफल होता है.

कर्ता के लिए यह भी नितान्त आवश्यक है कि वह प्रमाद रहित भाव से कर्तव्य को कर्तव्य समझे ताकि वह कर्तव्य भ्रष्ट होने से बच सके तथा अपनी उन्नति के प्रति जागरूक रहते हुए स्वकर्तव्य की रक्षा करने में समर्थ हो सके. वैसे भी यह सत्य है कि आलसी, दीर्घसूत्र, मानी, लोक से भयभीत तथा कल–कल की प्रतीक्षा में कर्तव्य का समय खोने वालों के कार्य कभी सिद्ध नहीं हो पाते है. 'काला तिक्रमात् काल एवं तत्तफलम् पिवति' – कर्तव्य का समय टल जाने से समय ही उसकी सफलता को चट कर जाता है. अत: मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी निश्चित कर्तव्य के पालन में एक क्षण की भी देर न करे. विवेकपूर्ण कर्म करने से ही समाज, धर्म, देश, संगठन का कल्याण एवं कर्तव्य की रक्षा होती है.

सार

कर्तव्येन कर्ताभिरक्षयते

कर्ता को अपने कर्तव्य की रक्षा करनी चाहिए अर्थात हमें अपने कर्तव्यों का भान होना चाहिए तथा उनका निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए. क्योंकि कर्तव्य ही कर्तव्य की रक्षा करता है.

1. कर्तव्य शब्द से अभिप्राय :

i. सामान्य कर्तव्य शब्द का अभिप्राय उन कार्यों से होता है जिन्हें करने के लिए व्यक्ति नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होता है. व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा, अनिच्छा या केवल बाह्य दबाव के कारण ही

नहीं करता है अपितु आंतरिक नैतिक प्रेरणा के कारण भी करता है.

ii. समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति से जिन कार्यों को करने की अपेक्षा की जाती है. वो ही उसके कर्तव्य कहलाते हैं.

iii. कर्तव्यों के स्वरूप – नैतिक – चारित्रिक, सामाजिक, राज्य संबंधी (कानूनी, प्रशासनिक)

iv. नीतिबोध

2. कर्तव्यबोध/चेतना :

1) आवश्यकता एवं आवेदन , विश्व में कर्म की प्रधानता एवं महत्व

2) समुचित अनुपालन हेतु प्रयास एवं साधन

(शिक्षा – दीक्षा, सुसंस्कार, धर्मपालन, अभिव्यक्तिपरक स्वतन्त्रता – सत्साहस)

3. कर्तव्यपालन का व्यक्तिपरक एवं सामाजिक / राज्य (राष्ट्रीय) सुप्रभाव

4. व्यक्ति द्वारा कर्तव्यपालन न किए जाने के दुष्प्रभाव

1. सामाजिक –अराजकता, हिंसा, मर्यादाहीनता कुसंस्कारों एवं अनाचार आदि का व्यापक हो जाना, पाश्विकता फैलना .
2. राजनीतिक उठापटक, सुरक्षा संकट (स्वतन्त्रता विषयक), अवसरवादिता– जंगलराज
3. धार्मिक संकट, मूल्य संकट
4. आर्थिक विपन्नता, भष्ट्राचार एवं ईमानदारी का कम होना.
5. प्रगति में अवरोध तथा विश्वासहीनता

5. निष्कर्ष : गीता (का) कर्मयोग शास्त्र।

श्री सुनील कुमार शर्मा
मु.प्र. (राभा)
आंचलिक कार्यालय,
कोलकाता

निबंध 9

कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते

कर्तव्य के पालन का हमारे जीवन में विशेष महत्व है. प्रायः हमें कर्तव्य मार्ग पर दृढ़ रहने की शिक्षा अपने अग्रजों, शिक्षकों व मनीषियों से मिलती है, किंतु हम अपने कर्तव्य को किस रूप में लेते हैं और किस हद तक अंजाम देते हैं, यह बात हम पर निर्भर करती है . इस नश्वर संसार में परमात्मा ने जिस जीव को भी यहां भेजा है, उन सभी जीवों का अपना – अपना कुछ– ना – कुछ कर्तव्य अवश्य होता है. बिना कर्तव्य के इस जगत में कोई नहीं आता है, यह उन जीवों पर निर्भर है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन समयानुकूल करते हैं या नहीं.

कर्तव्य के लिए जो सबसे अहम है, वह है 'निष्ठा' . निष्ठा साधना की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम है. निष्ठा के बाद जो सबसे जरूरी है वह है हमारा 'कर्म' . अगर कर्म और निष्ठा को व्यापक फलक पर मिश्रित कर दें तो उसका निचोड़ ही 'कर्तव्य' है. कहा भी गया है कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा .

पौराणिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में ईश्वर का अवतरण भी कर्म के लिए होता है. अगर वो चाहे तो कर्म ना करके भी इस संसार में रह सकते थे, किंतु प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने को ढाल कर उन्होंने भी कर्म को तवज्जो दी. उनके इसी कर्म के कारण संसार उन्हें पूजता है. जितने भी महापुरुष इस संसार में आए उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरी रखा, तब जाकर अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए निष्ठावान होकर कर्म से अपने आप को संलग्न रखा, जिसकी परिणति संसार ने उन्हें महापुरुष का दर्जा देकर किया. कर्मपरायण मनुष्य ही इस संसार में अपनी ऐसी छाप छोड़ते हैं कि दूसरे उनसे सीखते हैं और उनका अनुसरण करते हैं. श्रीमद्भगवद्गीता के 21वें श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है, जो इस प्रकार है –

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।।

अर्थात्, श्रेष्ठ पुरुष जो–जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा–वैसा ही आचरण करते हैं. वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है. श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग की जो शिक्षा दी, उसमें कर्तव्य की ही बात है. हर मनुष्य का समय–समय के अनुसार कर्तव्य में बढ़ोत्तरी होती जाती है. जो इस कर्तव्य को पूरी तन्मयता के साथ पूर्ण करता है, वही श्रेष्ठ कहलाता है. सामान्यत: कर्तव्य शब्द का अभिप्राय उन कार्यों से होता है, जिन्हें करने के लिए व्यक्ति नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होता है. इस शब्द का यही बोध है कि व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा, अनिच्छा या केवल बाह्य दबाव के कारण नहीं करता है, अपितु आंतरिक नैतिक प्रेरणा के ही कारण करता है.

कर्तव्यों का विशद विवेचन धर्मसूत्रों तथा स्मृतिग्रंथों में मिलता है. वेद, पुराण, गीता और स्मृतियों में उल्लेखित चार पुरुषार्थ–धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति जाग्रत रहे. कर्तव्य के पालन करने से चित्त और घर में शांति मिलती है. चित्त और घर में शांति मिलने से मोक्ष व समृद्धि के द्वार खुलते हैं.

कर्तव्यपरायण मनुष्य सदैव अनुशासित होते हैं. उनके इसी अनुशासित जीवन के कारण उनके चित्त भी समाजानुकूल होते हैं, उनका हृदय करुणा से परिपूर्ण एवं भावानुकूल होता है. जो व्यक्ति अपने परिवेश एवं समाज में व्याप्त अच्छाइयों एवं बुराइयों का हवाला देकर अपने कर्तव्यों से मुक्त होने की कोशिश करते हैं, उनके लिए यह उद्धरण ग्राह्य है – सुधरना या बिगड़ना मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है ना कि माहौल पर. रामायण में दो पात्र हैं– विभीषण और कैकयी. विभीषण रावण के राज में रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकयी रामराज्य में रहकर भी

नहीं सुधरी. इसलिए मनुष्य को बगैर किसी अपने माहौल की परवाह किए बगैर सदैव कर्तव्यपरायण एवं प्रसन्न रहना चाहिए क्योंकि जो उसे प्राप्त है वह पर्याप्त है. संस्कृत में एक श्लोक है –

अस्थिरं जीवितं लोके
अस्थिरे धनयौवने ।
अस्थिराः पुत्रदाराश्च
धर्मकीर्तिद्वयं स्थिरम् ।।

अर्थात् , इस जगत् में जीवन सदा नहीं रहने वाला है, धन और यौवन भी सदा नहीं रहने वाले हैं, पुत्र और स्त्री भी सदा नहीं रहने वाले हैं. केवल आपका धर्म और कीर्ति ही सदा – सदा के लिए रहते हैं.

दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सब की कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है. अतः मनुष्यों को चाहिए कि उसे अपने कर्मों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे उसकी कीर्ति समाज में दीप्ति को प्राप्त कर पाएगी.

कर्म एवं कर्तव्य की महत्ता जीवन के सभी क्षेत्रों में है. किसी भी व्यवसाय का संचालन इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझता है. अपने कर्तव्यों को समझकर वह अपने सौंपे गए कार्यों को कुशलता से कर सकते हैं. टीमवर्क के प्रभावी होने के लिए टीम के सभी सदस्यों को अपनी क्षमताओं के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, तब जाकर कर्तव्य के द्वारा कर्ता अर्थात मनुष्य अपने कर्म की रक्षा कर पाएगा.

कर्म और कर्तव्य पर अगर हम ध्यान आकृष्ट करें तो हम पाते हैं कि कर्म का अर्थ है काम, आचरण, क्रिया और भाग्य. व्याकरण की दृष्टि से, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, वह शब्द कर्म कहलाता है और हमारा संचित कर्म ही प्रारब्ध कहलाता है. इंसान कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है. प्रतिपल जो भी कार्य संपादित किए जाएं वह कर्म है, पर जिसे करना अत्यंत जरूरी है, जिसके बिना समाज, देश, माता–पिता, धरती मां पर घात लग सकता है वह कर्तव्य की श्रेणी में आते हैं. सरल शब्दों में, कर्तव्य निभाने के लिए होते हैं. कर्म सभी को करने होते हैं. कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता. हमारे समाज, परिवार, देश व अन्य लोगों के प्रति कुछ दायित्व होते हैं, जिनका पालन हमारा कर्तव्य है. जब कोई कर्म किसी ऐसे दायित्व की पूर्ति के लिए किया जाता है अथवा किया जाना चाहिए तो उसे कर्तव्य कहते हैं. हमारा कर्म तो हमेशा होता रहता है. बाह्य शरीर से क्रिया के रूप में जीवन चलाने के लिए कर्म करना आवश्यक है. दूसरे कर्म हैं, जो शरीर द्वारा करते हैं, जैसे कि कुछ कर्म स्व के लिए किया जाता है तो कुछ पर के लिए, अर्थात दूसरे की भलाई के लिए. मानसिक कर्मों पर ध्यान आकृष्ट करने से बाहरी कर्म श्रेष्ठ तरीके से होंगे, फिर कर्तव्य जबरदस्ती निभाना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही निभ जाएगा. दूसरे अध्याय में, श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्तव्य पालन के लिए ही कहते हैं और फिर अर्जुन संभल जाता है, तो कहते हैं कि अपना हर कर्म मुझे समर्पित कर दे.

हमारा कर्म ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और कर्तव्य धर्म का एक अंग है परंतु प्रथम अंग है, मतलब अपने कर्तव्य निर्वहन के बाद ही धर्म के दूसरे अंगों का निर्वहन करना चाहिए. यथार्थ यह है कि कर्तव्य की उपेक्षा कर धर्म के अन्य उपादान करने पर उसका कोई लाभ नहीं मिलता, अपितु अधर्म संज्ञक भी है. इसलिए हम कह सकते हैं कि कर्तव्य धर्म से ऊपर है. वस्तुतः कर्तव्य भी धर्म ही है. फिर भी यथावचन से कर्तव्य धर्म से ऊपर है.

धर्म और कर्म का रिश्ता अत्यंत अटूट है. धर्म ही हमें बताता है कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए. अगर हम धर्म करते हैं तो इसका स्पष्ट मतलब है कि हम अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन अगर हम अधर्म करते हैं, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि हम बुरे कर्म कर रहे हैं और हमें हमारे कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा. कर्म तो हम करते ही

रहते हैं अगर कर्म ना भी करना चाहें, तब भी हमसे कर्म तो होते ही रहते हैं. इसे हम चाह कर भी नहीं रोक सकते, अर्थात एक वाक्य में कहा जाए तो कर्म ही हमारा पहला और आखरी धर्म है. धर्म किसी के आजीवन कर्तव्य को संदर्भित करता है, जबकि कर्म किसी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को और इन कार्यों को करने वाले नकारात्मक या सकारात्मक दायित्वों को संदर्भित करता है. धर्म जीवन जीने का एक तरीका है. सामान्य शब्दों में, धर्म का अर्थ जीने का सही तरीका और सही होने का रास्ता है. कहा भी जाता है, यदि आप अपना धर्म करते हैं तो आपको अच्छे कर्म का फल भी अवश्य ही मिलेगा.

कर्तव्य किसी भी व्यक्ति के लिए नैतिक या वैधानिक जिम्मेदारी है, जिसका अनुपालन देश के समस्त नागरिकों को करना चाहिए. यह एक कार्य या कार्रवाई है, जिसका पालन देश के प्रत्येक नागरिक को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए. कर्तव्यों का पालन करना एक नागरिक का अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करता है. हर किसी को सभी नियमों और नियमन का पालन करने के साथ ही विनम्र और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी के लिए वफादार होना चाहिए. प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने राष्ट्र के प्रति कई कर्तव्य होते हैं. कुछ कर्तव्य उन्हें राष्ट्र को सुचारू रूप से संचालन के लिए सौंपे जाते हैं, तो कुछ कर्तव्य उन्हें स्वयं ही निर्धारि करने होते हैं. हमारा देश भारत, वह देश है जो पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति, परंपरा और ऐतिहासिक धरोहरों के कारण प्रसिद्ध है. हालांकि यहां के नागरिकों की गैर- जिम्मेदारियों के कारण अभी भी विकासशील देशों की श्रेणी में हमें नहीं गिना जाता है.

साधारण दृष्टि से अगर हम गौर करें, तो हम पाते हैं कि जब हम भारतीय रेलवे से सफर कर रहे होते हैं तो यत्र – तत्र कहीं भी गंदगी फैला देते हैं. रेलगाड़ियों में कहीं भी थूक देते हैं. वही यात्री जब रेलगाड़ी की यात्रा समाप्त कर महानगरों में मेट्रो पर सफर करते हैं, तो स्वत: ही सभ्य नागरिकों की तरह पूर्ण अनुशासित होकर बिना गंदगी फैलाये अपनी यात्रा करते हैं. जिससे मेट्रो की साफ-सफाई बनी रहती है और वही भारतीय रेलवे की स्थिति तो सबको पता ही है, लेकिन हाल के वर्षों में सरकार द्वारा भारतीय रेलवे में भी मेट्रो की तर्ज पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन जो परंपरा शुरू से निर्मित हो चुकी है उसे खत्म करने में अभी समय लगेगा. इसके लिए सभी यात्रियों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है. वही मेट्रो ने अपने शुरुआती समय से ही सभी यात्रियों को उनके कर्तव्य के लिए कड़े दिशा-निर्देश का सख्ती से पालन करवाया, तो परिणाम सबके समक्ष है. सवाल यह है कि, क्या सरकार ही या कोई संस्था ही इसके लिए जिम्मेदार है? तो हम पाते हैं कि नहीं, सिर्फ सरकार ही नहीं, प्रत्येक नागरिक भी इसके लिए जिम्मेदार है. अगर सभी नागरिक या यात्री अपने कर्तव्य को समझें और रेलवे की संपत्ति को अपनी ही संपत्ति समझे, तो यह गंदगी स्वत: ही खत्म हो जाएगी. भारतीय रेलवे का ध्येय वाक्य भी है – भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है. यह रेलवे की दूरदर्शिता को दर्शाता है कि उसने इस वाक्य के द्वारा कितनी बड़ी जिम्मेदारी यात्रियों को सौंपी है. जिस प्रकार हम अपने संपत्ति की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा भी पूर्ण मनोयोग से करनी चाहिए.

ऊपर के दृष्टांत को यहां उल्लेखित करना सिर्फ एक उदाहरण मात्र है .आप इस उद्धरण को किसी अन्य संस्था पर भी लागू करके परिणाम देख सकते हैं. सामान्यत: कर्तव्य शब्द का अभिप्राय ही उन कार्यों से है, जिन्हें करने के लिए व्यक्ति नैतिक रूप से प्रतिबद्ध है. केवल बाह्य कार्यों के आधार पर कर्तव्य की व्याख्या करना असंभव है , परंतु आंतरिक दृष्टिकोण से कर्तव्य की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि यदि हम किसी कर्म द्वारा अपने धर्म की ओर बढ़ते हैं, तो वह सत्कर्म ही हमारा कर्तव्य है. जब कर्तव्य का अनुपालन कर्ता द्वारा कृत संकल्पित होकर किया जाएगा तो इससे हमारे कर्म की रक्षा के साथ-साथ कर्ता की भी रक्षा होगी.

श्री अमितेश कुमार सिंह
राजभाषा अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, हुबली

निबंध 10

कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते

श्रीमद्भगवतगीता से लिए गयी इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है- कर्तव्य से कर्ता की रक्षा होती है. अर्थात कर्म करने से कर्म करने वाले कर्ता की रक्षा होती है. यहाँ 'कर्तव्येन' कर्म-सूचक और 'रक्षयते' फलसूचक है. ईश्वर रचित संसार में सभी सजीव अपने-अपने ध्येय हेतु कर्तव्यशील रहते हैं. यह ध्येय उनके स्वयं का भरण-पोषण, विकास, आत्मसंतुष्टि, आत्मरक्षा आदि हो सकते हैं. आएं, शीर्षक के सार की मनुष्य के परिदृश्य में विवेचना करें.

कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा अपने जन्म के कारण नहीं बल्कि अपने कर्म से होता है. कर्म ही उसे नीचा या ऊँचा बनता है. अर्थात महानता विरासत से नहीं, अपितु महान कर्म या आदर्श कर्तव्य करने से होती है. विवेकशील प्राणी होने के कारण बाल्यावस्था से ही मनुष्य में कर्तव्य बोध परिलक्षित होने लगता है. कर्तव्य की ये प्रेरणा कभी स्वार्थवश तो कभी निःस्वार्थ हो सकती है. माया-मोह, लोभ व दायित्व से उत्पन्न इस 'कर्तव्य' के कई आयाम व मायने हैं जो देश, काल व परिस्थिति के अनुरूप बदलते रहते हैं. उदाहरणतः बाल्यावस्था का कर्तव्य कौतूहल से प्रेरित होता है, वहीं युवावस्था का कर्तव्य भविष्य की चिंता के प्रति उसकी सचेतता से प्रेरित होता है. गृहस्थाश्रम से लेकर वृद्धावस्था तक का कर्तव्य परिवार-कल्याण, समाज कल्याण और देश कल्याण के प्रति समर्पित होता है. किन्तु सभी कर्तव्यों से कर्ता के हित की रक्षा होती है.

कर्तव्य और इसके गर्भ से उत्पन्न फल या प्रभाव की व्याख्या मानव जीवन के विभिन्न अवस्थाओं के आलोक में निम्न प्रकार से की जा सकती है:-

I) शैशवावस्था के कर्म और उसका फल :-

इस अवस्था में शिशु द्वारा की गई गतिविधियाँ यथा शारीरिक हरकतें व अन्य क्रिया-कलाप अनजाने में की जाती है किन्तु इसके परिणाम से शिशु (कर्ता) का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है. अर्थात कर्ता के कर्मफल से उसके निज हित की रक्षा होती है.

II) बाल्यावस्था के कर्म और उसका फल :-

यूँ तो शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक सभी बच्चे प्यारे और अपने माता-पिता और श्रेष्ठजनों के दुलारे होते हैं किन्तु कुछ बच्चे कौतूहलवश या क्षणिक लोभ से ग्रसित होकर कुछ विशेष क्रियाकलाप करते हैं, वे अपने माता-पिता और श्रेष्ठजनों के ध्यान को अपनी और आकर्षित कर लेते हैं और जिसके फलस्वरूप उन्हें अन्य बच्चों की तुलना में अधिक प्यार प्राप्त होता है. अर्थात अपने कर्म (कर्तव्य) के आधार पर उनके इच्छित स्वार्थ की रक्षा होती है.

बाल्यावस्था में माता-पिता एवं श्रेष्ठजनों की सेवा एवं उनके निर्देशों का पालन करने से उनके प्रति माता-पिता एवं श्रेष्ठजनों का विशेष आकर्षण होता है और वे उनके हित-साधन हेतु विशेषतः अग्रसर होते हैं. उनके समस्त इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की यथासंभव पूर्ति के लिए अभिवावक सदैव उद्यत होते हैं और इस प्रकार उनके हित की रक्षा होती है.

III) विद्यार्जन अवस्था के कर्म एवं फल :-

'विद्यार्थी-जीवन' जीवन का स्वर्णिम काल होता है और इसी अवस्था में जीवन की आधारशिला भी रखी जाती है. इस दौर में विद्यार्थी सांसारिक दायित्वों से मुक्त होता है, परन्तु इस अवस्था में उसे विद्यार्थी जीवन के दायित्व और कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है. माता-पिता, श्रेष्टजनों एवं गुरुजनों के प्रति सम्मान, उनके निर्देशों का अनुपालन करना पड़ता है साथ ही मित्रों के प्रति मित्रवत व्यवहार करना पड़ता है. इन कर्तव्यों के निर्वहन के परिणाम स्वरुप उन्हें शुभाशीर्वाद एवं शुभकामनाएं मिलती है जिससे उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम परीक्षाफल एवं मित्रों से मित्रवत सहयोग की प्राप्ति होती है. इसके आलोक में श्रीमद्भगवतगीता का निम्न श्लोक चरितार्थ होता है जिसमें श्रीकृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं-

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥

अर्थात तुम्हारा कर्म तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है इससे मिलने वाले फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं. अतः

कर्मफल के प्रति बिना आसक्ति के कर्म न करने के लिए प्रेरित न हो. यानी कर्तव्यपथ पर चलते रहो.

किन्तु परमपिता परमेश्वर द्वारा निर्मित हाड़-मॉस से बने मानव रूपी पुतले में माया-मोह एवं लोभ का वास होता है. इन ईश्वरीय प्रदत्त प्रवृत्ति एवं लक्षण के कारण कर्मफल की तृष्णा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्याप्त होती है. कर्मफल उसके बस में नहीं है, इसका बोध रहते हुए भी इसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य कर्तव्य करता चला जाता है क्योंकि गीता में श्री कृष्ण आगे कहते हैं की- कर्मफल किये गये कर्म के अनुरूप ही होता है.

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्तव्य करने से कर्ता के हित के रक्षा होती है चाहे कर्मफल की मात्रा एवं समय कुछ भी क्यों न हो.

IV) युवावस्था के कर्तव्य एवं फल :-

उद्यमेन हि सिध्यन्ते कार्याणि न मनोरथैः ।
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ।

अर्थात सभी कार्य परिश्रम यानी कर्तव्य से सिद्ध होते हैं न कि मनोरथ से. जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में हिरन आदि आहार स्वयं ही प्रवेश नही करता है. यह निति और दिशा-निर्देशक श्लोक मनुष्य को स्थूल बनने या कर्तव्य न करने के दुष्परिणाम से सचेत करता है.

विद्योपार्जन के उपरांत मनुष्य युवावस्था में प्रवेश करता है जहाँ उसके आसन्न में खड़े गृहस्थ जीवन दस्तक देने को तैयार रहता है. अपने भविष्य को सुनिश्चित करने और तदनुसार जीविकोपार्जन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए वह उद्यमशील होता है. इस प्रकार अपनी क्षमता, परिस्थिति और संभावनाओं का आंकलन करते हुए मनुष्य कर्तव्य की ओर अग्रसर होता है. इस राह में चलते हुए उसे कई प्रकार की कठिनाईयों एवं असफलताओं का सामना करना पड़ता है. इस सन्दर्भ में कवि सोहन लाल द्विवेदी की कविता की कुछ पंक्तियाँ सहसा मानस पटल पर उभर आतीं हैं जिसमे कविवर कहते हैं-

..असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो
क्या कमी रह गयी, देखो और सुधार करो
जबतक न सफल हो नींद-चैन को त्यागो तुम
संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम
कुछ किये बिना ही जयजयकार नही होती
कोशिश करने वाली की हार नहीं होती।....

इन प्रेरणादायक पंक्तियों में उद्धृत भावना और सन्देश मनुष्य को सदैव और अधिक कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करता है. अतः युवावस्था में भविष्य की चिंता को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य-साधन हेतु मनुष्य अथक परिश्रम करता रहता है. इस अवस्था में किये गये अथक परिश्रम (कर्तव्य) के आधार पर मनुष्य अपने भविष्य के जीविकोपार्जन की आधारशिला रखता है और परिणाम स्वरुप विद्या हो या व्यवसाय, कृषि हो या उद्योग किसी न किसी क्षेत्र में अपने भविष्य को संरक्षित करने में सफल होता है. इस प्रकार एक बार पुनः यह सिद्ध होता है कि कर्तव्य से कर्ता की रक्षा होती है.

V) गृहस्थावस्था के कर्तव्य एवं कर्मफल:-

युवावस्था के पश्चात् मनुष्य के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है जिसके अंतर्गत मोह पारिवारिक एवं सांसारिक जीवन को जीता है जिसे गृहस्थावस्था कहते हैं. इस अवस्था में लोग अपने परिवार एवं समाज के प्रति विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं ताकि परिवार के समस्त सदस्यों के साथ-साथ समाज का भी कल्याण हो सके. इस अवस्था में मनुष्य कुछ ऐसा कर्म करता है जिससे परिवार एवं समाज में उसकी पदवी ऊँची हो सके और उसकी गणना श्रेष्ठजनों में हो सके ताकि लोग उसका अनुसरण कर सके. मनुष्य की इसी अभिलाषा को प्रोत्साहित करने के आलोक में गीता में भी कहा गया है -

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।।

अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही कार्य करते हैं. श्रेष्ठ पुरुष प्रमाण के तौर पर जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव-समुदाय उसका अनुसरण करते हैं.

'महाजनों येन गतः स पन्था' उक्ति को सिद्ध करते हुए मनुष्य विद्या क्षेत्र हो या स्वास्थ्य क्षेत्र, व्यवसाय हो या सेवा क्षेत्र में अपने शत-प्रतिशत क्षमता का उपयोग करते हुए ऐसा कर्तव्य करता है जिससे उसे सम्मान और श्रेष्ठता हासिल हो सके. इच्छित फल प्राप्ति के उपरांत मनुष्य (कर्ता) को प्रतिष्ठा के साथ-साथ आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है.

उपरोक्त अवस्थाओं में वर्णित कर्तव्य और उससे होने वाले फल प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य की कर्तव्य रूपी यात्रा गृहस्थावस्था से आगे भी ताउम्र जारी रहती है. कभी माता-पिता के रूप में, कभी चाचा-चाची के रूप में, कभी बड़े भाई-बहन के रूप में, कभी छोटे भाई-बहन के रूप में, कभी दादा-दादी के रूप में, तो कभी सगे-सम्बन्धियों के रूप में मनुष्य कर्ता की भूमिका निभाते हुए अनगिनत कर्तव्यों का निर्वहन करता है जिसके पीछे कहीं जवाबदेही का बोध निहित रहता है, कहीं आत्मसंतुष्टि तो कहीं आत्मरक्षा का प्रयोजन. बिना उद्देश्य के मनुष्य कोई भी कर्तव्य करने के लिए उद्यत नही होता है. तभी तो कविराज तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है-

सुर नर मुनि सब कै यह रीति ।
स्वारथ लागि करहिं सब प्रीति ।।

अर्थात देवता, मनुष्य व मुनि सभी लोग स्वार्थ (आत्मरक्षा या आत्मसंतुष्टि) के लिए ही प्रीति (प्रेम या कर्तव्य) करते हैं.

पौराणिक धर्मग्रंथों और उसमे वर्णित घटनाओं के संदर्भ को कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते की कसौटी पर विवेचना की जा सकती है.

सत्य हरिश्चंद्र कथा की विवेचना निम्नलिखित चंद पंक्तियों में की जा सकती है -

सत्य-धर्म की थाती हरिश्चंद्र की, विश्वामित्र के छल-प्रपंच की,
सर्वस्व भिक्षा-दान कर ऐसे, शमशान का चांडाल बन बैठे,
रोहिताश्व का कफ़न मांगकर, कर्तव्य-धर्म की लाज बचाई,
विधिना के लेख-लाज बचाने, अंगवस्त्र अर्पण को आई,
पकड़ लिये शैव्या के 'कर' को, विधिना ने 'लोकलाज' बचाई ।

उपरोक्त पंक्तियों में कर्ता जैसे हरिश्चंद्र और शैव्या ने अपने-अपने कर्तव्य का पालन किया जिसके परिणामस्वरुप उनकी आत्मसंतुष्टि यथा सत्यवादी होने का गौरव एवं भार्या-धर्म की रक्षा हुई.

रामायण में कैकई एवं मंथरा प्रकरण में भी दोनों कर्ताओं ने अपनी-अपनी निहित स्वार्थ के कारण कर्तव्य का पालन किया. परिणामस्वरूप राम, सीता एवं लक्ष्मण ने अपने-अपने कर्तव्य क्रमशः पुत्रधर्म, पत्नीधर्म एवं भ्रातृधर्म को निभाया ताकि समाज में वे अनुकरणीय हो सकें.

इस प्रकार हम पाते हैं कि कर्तव्य के परिणाम का प्रभाव जहाँ भी पड़े किन्तु उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्ता की रक्षा या हितसाधन होता है. अतः हमें हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म हमारा धर्म है और फल हमारा सौभाग्य. जीवनरुपी समर में कोई केशव नहीं जो हमें गीता का ज्ञान दे सकें. अतः

सुकृत्य करो जबतक हो धरनी पर, मानवता भी कृतार्थ हो ।
महाभारत के इस कुरुक्षेत्र में तुम्हीं केशव और तुम्हीं पार्थ हो ..

श्री किशोर कुमार दास
क्षेत्रीय कंप्यूटर केंद्र,
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

निबंध 11

कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते

''कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते'' इस शीर्षक का निर्वचन करने पर जो अर्थ निकलता है वह है कर्तव्य ही कर्ता की रक्षा करता है. इस शीर्षक को मनुस्मृति तथा महाभारत के एक कथन के आलोक में परखने की आवश्यकता है जो इस प्रकार है **''धर्मो रक्षति रक्षतः''** अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करती है. कालांतर में इसकी व्याख्या करते हुए जो अर्थ अधिक मान्य हुआ वह इसकी व्याख्या बेहद संकुचित अर्थों में करता है. धर्म का अर्थ होता है – किसी परिस्थिति विशेष में जो कार्य करने योग्य हो वही धर्म है, कर्तव्यहै. अपनी एक नाट्यकृति **''माधवी''** के दृश्य एक में भीष्म साहनी ने कथावाचक से एक संवाद कहलवाया है –''धर्मग्रंथों में मनुष्य के बहुत से गुण गिनाये हैं, पर कहा है, कर्तव्यपालन सबसे बड़ा गुण है. जो मनुष्य कर्तव्यपरायण है, वही सच्चा साधक है. अपने माता–पीता के प्रति कर्तव्य, अपने गुरु के प्रति कर्तव्य, अपने धर्म के प्रति कर्तव्य आदि सच्ची साधना इसी को कहते हैं. इसी कृति में आगे वो लिखते हैं – **''कर्तव्यपरायणता के नींव पर आर्य संस्कृति का भव्य प्रासाद खड़ा है.''** यह बात समूचे भारतीय संस्कृति पर लागू होती है.

गीता में कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं – **''कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगो ऽस्त्वकर्मणि।। २.४७।।''** (तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं. इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो.) अर्थात तब कृष्ण अर्जुन को कर्मफल से विमुख नहीं कर रहे होते हैं, अपितु यह समझाते हैं कि इसलिए कर्म मत करो कि कर्मफल क्या होगा – इष्ट या अनिष्ट, बल्कि इसलिए करो क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्यहै. अनेकानेक बार जीवन में मनुष्य स्वयं को अर्जुन जैसी स्थिति में पाता है, जहाँ वह जो काम नहीं करना चाहता है वही उसका धर्म होता है. इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक प्राचीन व एक अर्वाचीन प्रसंग के आलोक में देखते हैं. पहला भारतीय लौकिक साहित्य के प्रथम साहित्य रामायण से, **रामायण** में राम युद्ध नहीं करना चाहते हैं महाभारत के कृष्ण की ही तरह प्रथमतया शान्ति के सभी संभव उपायों को आजमाते हैं. एक के बाद एक शांति के उपाय ढूंढते हैं परन्तु जब हर तरह से असफल हो जाते हैं, तो अपने धर्म निर्वाह के लिए युद्ध भी करते हैं. क्योंकि तब युद्ध उनके सम्मुख एकमात्र धर्म होता है. अंततः अर्जुन हो या राम दोनों अपने धर्म की रक्षा करते हैं और परिणामस्वरुप धर्म द्वारा रक्षित होते हैं. एक अर्वाचीन दृष्टान्त **टेनिस के महानतम खिलाडियों में से एक आंद्रे अगासी** के जीवन से हैं. आंद्रे अगासी अपने रंग–रूप, अपने तेवर और फीनिक्स की तरह ख़ाक में मिलने और उठकर ऊँची उड़ान भरने की मिसालों की वजह से जाने जाते हैं. आंद्रे 8 बार की पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम और ओलिंपिक 1996 के स्वर्ण पदक विजेता रहे. आंद्रे ने अपनी आत्मकथा **''ओपन''** में बार–बार जिक्र किया है कि उन्हें जीवन में सबसे अधिक नफरत रहा तो वो है टेनिस खेलना और यह नफरत अंत तक बना रहा. फिर भी उन्होंने जब भी रैकेट उठाया पूरे प्राणपण से खेले. एक टेनिस खिलाड़ी होने के नाते उनका कर्तव्यथा खेलना जिसकी उन्होंने रक्षा की जिसके फलस्वरूप उन्हें बेशुमार धन–दौलत, शोहरत और दुनिया भर में मोहब्बतें मिली.

श्रीमद्भगवद्गीता और कर्म की प्रधानता :

भारतीय संस्कृति के दो सबसे उदात्त नायक हैं – राम और कृष्ण राम के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता एक स्वतंत्र कृति के रूप में बेहद प्रसिद्ध व लोकप्रिय सिद्ध हुआ जो मूलतः महाभारत का ही हिस्सा है. गीता को उसके वर्ण्य-विषयों के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है - भक्तियोग, ज्ञानयोग व कर्मयोग. इनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण है - कर्मयोग कृष्ण गीता में कहते हैं - **''न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एवं च कर्मणि।।३.२२।।''** अर्थात मेरा कोई कर्तव्य नहीं, किसी ने मुझे कर्तव्य में आबद्ध नहीं किया, क्योंकि मुझे कोई भी अप्राप्य प्राप्त नहीं करनी है, फिर भी मैं कार्यशील हूँ. अपना कर्तव्य करता हूँ. अर्जुन ने कृष्ण को जितने नाम दिए हैं उनमें से एक नाम **'अच्युत' (''सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत।'')** भी है. अर्जुन, कृष्ण को इस नाम से इसलिए सम्बोधित करते हैं क्योंकि नारायण होते हुए भी कृष्ण अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं और अपने नर मित्र के लिए सारथि बनना स्वीकार करते हैं. गीता के तृतीय अध्याय के 7वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं -**''यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन। कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते।।''** अर्थात हे अर्जुन जो पुरुष मन से इन्द्रियों को वश में कर अनासक्त हुआ समस्त इन्द्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है. यहाँ कृष्ण ने श्रेष्ठ पुरुष की परिभाषा बतायी है. साथ ही कृष्ण अनासक्त कर्म की बात करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब कर्मफल के प्रति आसक्त होता है तो कर्म में शिथिलता उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है. आगे इसी अध्याय के 20वें श्लोक में कृष्ण यही बात अर्जुन को राजा जनक के उदहारण से समझाते हैं-**''कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि।।''** अर्थात जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे. इसलिए तथा लोकसंग्रह को देखते हुए भी तू करने के ही योग्य है, तुझे कर्म ही करना चाहिए. आगे चतुर्थ अध्याय के 14वें श्लोक में कृष्ण इसे विस्तार देते हुए बताते हैं -**''न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते।।''** अर्थात कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते - इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता. इसके आगे अध्याय 5 के 11वें श्लोक में कृष्ण इन्द्रियों, मन, बुद्धि और शरीर के समन्वय की बात करते हैं -**''कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये।।''** अर्थात कर्मयोगी ममत्वबुद्धिरहित केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि, और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अन्तःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं. इस तरह कृष्ण सब तरह से आसक्तिरहित होकर कर्म करने की बात करते हैं.

गीता में कृष्ण ने बार-बार एक शब्द का प्रयोग किया है - निश्चयात्मिका बुद्धि, अर्थात संशयरहित मन/बुद्धि. क्योंकि इसके अभाव में कर्म शिथिल हो जाता है. द्वितीय अध्याय के 41वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं - **''व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम।।''** अर्थात हे अर्जुन! इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है; किन्तु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है. कर्म में प्रवृत होते समय संशयरहित, आसक्तिरहित होना अत्यंत आवश्यक होता है.

भारतीय संविधान और नागरिक कर्तव्यबोध :

आज़ाद भारत में आपातकाल के दौरान एक 12 सदस्यीय **सरदार स्वर्ण सिंह समिति** का गठन किया गया. इस

समिति का उद्देश्य पिछले अनुभवों के आलोक में संविधान में संशोधन और संशोधन की सिफारिश करने के सवाल का अध्ययन करना था. अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं और हमारे संविधान में पूर्व में मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था नहीं की गई थी. उक्त समिति ने सोवियत संघ के संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की. **१९७६ में ४२वीं संविधान संशोधन** (जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है) के तहत संविधान के चतुर्थ भाग में ''क'' जोड़कर , इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई जो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है. 2002 में 86वें संविधान संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई है. इन कर्तव्यों को बाध्यकारी नहीं बनाया गया है अपितु नागरिक नैतिक रूप से इससे आबद्ध हैं.

एक दृष्टांत अहमद शाह अब्दाली के जीवन से है. एक बार अहमद शाह अब्दाली रात्रि के समय अपने सैनिकों को गढ़ा खोदने की प्रशिक्षण दे रहे था उसी समय दुश्मन सेना से एक दूत आया, दूत ने देखा कि बादशाह अहमद शाह अब्दाली पसीने से नहाये हुए हैं और अपने सैनिकों को गढ़ा खोदने का प्रशिक्षण दे रहे हैं तो उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रहा. दूत ने अहमद शाह अब्दाली को एक चिट्ठी दिया जिस पर संधि का प्रस्ताव था अहमद शाह अब्दाली चिट्ठी रख पुनः गढ़ा खोदने लगा. रात्रि के तीसरे प्रहर अब्दाली ने अपने सैनिकों को आक्रमण का आदेश दिया. सोई-अलसाई दुश्मन सेना अब्दाली के सेना सामने टिक नहीं पायी. अब्दाली विजेता बेहतर सैन्यबल से नहीं बल्कि अपने कर्म के प्रति हीनताबोध रहित होने से बना.

उपसंहार

मनुष्य को द्वंद्वरहित होकर अपना कर्म करते रहना चाहिए देर-सबेर परिणाम आना निश्चित है. इतिहास ऐसे कर्मयोगियों से भरा पड़ा जिन्होंने लोकलाज, यश-अपयश, मान-अपमान, भय आदि से डरे बिना अपना कर्म करते गए और अंततः उन्हें कर्मफल भी प्राप्त हुआ. चाहे वो गांधी हों या सुकरात नेति-नेति कहते हुए दुनिया/समय ने ऐसे कर्मयोगियों के समक्ष सदैव अपना सर झुकाया है. श्रेष्ठ मनुष्य अपना कर्म करते हैं और फिर स्वयं को कर्म के हवाले छोड़ देते है. इतिहास ऐसे ही कर्मयोगियों का नाम समादर से लेता है. जैसा कि पहले ही हम देख चुके हैं चाहे राम हों या अर्जुन या अगासी सभी अंततः कर्तव्यनिष्ठा के कारण अपने कर्तव्य द्वारा रक्षित हुए. अतः मनुष्य को कर्तव्यपरायण होना चाहिए. अगर मनुष्य अपना निहित कार्य करना बंद कर दे तो प्रकृति/संसार की व्यवस्था संकटग्रस्त हो जाएगी. संसार में **''योग-क्षेम''** (योग - अप्राप्त की प्राप्ति; क्षेम- प्राप्त की रक्षा) कर्तव्य द्वारा ही संभव है. अतः मनुष्य को कर्तव्य परायण होना चाहिए क्योंकि - कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते.

श्री अच्युदानन्द झा
सहायक प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, त्रिची

निबंध 12

कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते

प्रस्तावना :

तपः स्वधर्मवर्तित्वं मनसो दमनं दमः
क्षमा द्वन्द्वसहिष्णुत्वं हीरकार्यनिवर्तनम् !!

अर्थ- अपने धर्म (कर्तव्य) में लगे रहना ही तपस्या है. मन को वश में रखना ही दमन है. सुख-दुःख, लाभ-हानि में एकसमान भाव रखना ही क्षमा है. न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है!

संसार में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य भी होते हैं. अपनी शक्ति, इच्छाशक्ति तथा सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना ही कर्तव्य पालन कहलाता है. यदि अधिकार और कर्तव्यसाथ-साथ चलते हैं तो समाज में सुव्यवस्था बनी रहती है. मानव के अतिरिक्त प्रकृति, जीव-जन्तु भी तो अपना कर्तव्यपालन करते हैं, तभी तो प्रकृति हमारा जीवन सुन्दर बनाती है हमें अन्न-धन देती है. पशु-पक्षी भी अपना कर्तव्य भली-भाँति करते हैं फिर हम तो इन्सान हैं. कर्तव्य-पालन करने से ही जीवन में सच्चरित्रता जैसे गुणों का विकास सम्भव है.

मनुष्य के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिन्हें पूरा करना उसे आवश्यक होता है, यही कार्य कर्तव्य कहलाते हैं. समस्त मनुष्यों के कुछ ना कुछ कर्तव्य अवश्य होते हैं, जिनका पालन करना उसे आवश्यक होता है. चाहे बच्चा हो या वृद्ध सभी आयु के मनुष्यों के अपने अपने कर्तव्य अवश्य होते हैं. कर्तव्य मनुष्य के जीवन का हिस्सा बाल्यावस्था से ही बन जाते हैं और पूरे जीवन भर उनके जीवन का हिस्सा बने रहते हैं. हमारे इतिहास में भी हमें अनेकों ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं, जिसमें कर्तव्य का पालन करते हुए हमारे महापुरुषों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया. कर्तव्य पालन को सबसे अधिक महत्व देते हुए कभी भी वे अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे और सदा अपने कर्तव्यों का पालन पूरी लगन के साथ किया.

श्रीरामचंद्र जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राजा बनने के स्थान पर चौदह वर्ष के वनवास को स्वीकार किया. यही कारण है कि वह आज हमारे महापुरुष हैं और कर्तव्य निष्ठा की बात जब भी आती है, तब हम उनका उदाहरण देते हैं.

विद्यार्थी का कर्तव्य विद्या अध्ययन और अपने माता-पिता, गुरुजनों एवं अपने से बड़ों का आदर करना होता है. माता पिता का कर्तव्य अपने बच्चों की देखभाल करना होता है, वहीं गुरुजनों का कर्तव्य अपने शिष्यों को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना होता है. न्यायधीश का कर्तव्य निष्पक्ष न्याय करना होता है और इसी प्रकार अनेकों व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों से बंधे होते हैं.

मनुष्य की सेवा मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है - विनोबा भावे

कर्तव्य पालन करना तो व्यक्ति बचपन में ही सीख जाता है और जो व्यक्ति नहीं सीख पाता, वह सदैव अपने कर्तव्यों से पीछे हटता रहता है और कभी भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है. कर्तव्य पालन करने से व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है क्योंकि कर्तव्य निष्ठा का पालन करते रहना ही मनुष्य के जीवन का एक अंग है. यह मनुष्य के जीवन से कभी भी पृथक नहीं हो सकता है और न ही कभी इसे मनुष्य द्वारा अपने जीवन से पृथक किया जा सकता है. अतः अपने कर्तव्य का पालन करना सभी मनुष्यों का धर्म है, जिसका निर्वाह उन्हें भली-भांति करना चाहिए.

कर्तव्य की परिभाषा और प्रकार :

तेरे बुद्धि और हृदय को जो सत्य लगे, वही तेरा कर्तव्य है.
-महात्मा गाँधी

बैनी प्रसाद के अनुसार अधिकार और कर्तव्य को हम सही रूप में देख सकते है. ये एक ही सिक्के के दो पहलू है. यदि कोई उनको अपनी दृष्टि से देखता है तो उसका अधिकार है और यदि कोई उन्हें दूसरी दृष्टि से देखे तो उसके कर्तव्य है.

हाबहाउस के अनुसार अधिकार व कर्तव्य सामाजिक कल्याण की दशाएँ है. समाज के प्रत्येक सदस्य का इस कल्याण के प्रति दोहरा दायित्व है. अधिकार एक माँग है तो कर्तव्य दूसरी. मेरे अधिकार समाज के अन्य सदस्यों का कर्तव्य निर्धारित करते हैं और अन्य सदस्यों के अधिकार मेरे कर्तव्य को निर्धारित करते हैं.

कर्तव्यों को दो भागों मे बाँटा जा सकता है-

कर्तव्य कठोर होता है, भाव प्रधान नहीं - जयशंकर प्रसाद

कर्तव्य के प्रकार
- नैतिक कर्तव्य
- कानूनी कर्तव्य

१. नैतिक कर्तव्य

नैतिक कर्तव्यों का आधार व्यक्ति की नैतिक चेतना है. इन कर्तव्यों का पालन व्यक्ति स्वत: करता है. यदि व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन ना करें तो राज्य ऐसा करने के लिए उसे बाध्य नही कर सकता और ना दण्डित कर सकता है.

२. वैधानिक कर्तव्य

ये वे कर्तव्य है, जिन्हें राज्य कानून बनाकर व्यक्ति को (जो राज्य मे रहते है) इनका पालन करने के लिये बाध्य कर सकता है. इनका पालन करना या न करना व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर नही करता है. इनका पालन न करने पर राज्य व्यक्ति को दण्डित भी कर सकता है.

इनके निम्न उदाहरण है-

1. सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा.
2. राज्य के संचालन के लिये टैक्स चुकाना.
3. पर्यावरण का संरक्षण.
4. राष्ट्र के प्रति द्रोह ना करना.
5. अनिवार्य सैन्य-सेवा.
6. सरकारी कानूनों को मानना.
7. सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के पालन मे सहयोग.
8. राज्य मे शांति और व्यवस्था बनाये रखना.

उस कर्तव्य का पालन करो जो तुम्हारे निकटतम हो - गेटे

मानव जीवन में कर्तव्यपालन की उपयोगिता :

जन्म लेते ही हमारे कर्तव्य प्रारम्भ हो जाते हैं लेकिन समय के साथ-साथ हमारे इन कर्तव्यों में परिवर्तन होता रहता है. कर्तव्यों का भली-भाँति पालन करने से ही हमारा जीवन उल्लास, उमंग, शान्ति एवं यश से परिपूर्ण हो सकता है. जब तक हम किसी के लिए कुछ करेंगे नहीं, तो वह हमारे गुणों की प्रशंसा कैसे करेगा. गुणों का विकास भी प्रशंसा द्वारा ही होता है. इसलिए कर्तव्यों का पालन करने से ही गुणों में निखार आता है. बचपन में माता-पिता, गुरुजनों की आज्ञापालन हमारा कर्तव्य होता है.

सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय: पिता
मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्

हिंदी अर्थ:- मनुष्य के लिये उसकी माता सभी तीर्थों के समान है तथा पिता सभी देवताओं के समान पूजनीय होते हैं अत: उसका यह परम् कर्तव्य है कि वह उनका यत्नपूर्वक आदर और सेवा करे.

विद्यार्थी जीवन में गुरुओं तथा अपने सहपाठियों के साथ हमारे कर्तव्यजुड़ जाते हैं. युवावस्था में अपने पड़ोसियों, नाते-रिश्तेदारी के अतिरिक्त राष्ट्र के साथ भी हमारे कर्तव्यजुड़ जाते हैं. गृहस्थ जीवन तो कर्तव्यों को निभाने का सबसे मुश्किल दौर होता है और फिर बच्चों के बड़े हो जाने पर भी हमारे कर्तव्यसमाप्त नहीं होते. वास्तव में कर्तव्यहमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते हैं. परिवार, समाज, देश, तथा संसार की उन्नति के लिए किए गए कार्य ही कर्तव्य-पालन हैं.

प्रकृति एवं कर्तव्यपालन :

कर्तव्यपालन का उत्तरदायित्व मनुष्य के कन्धों पर ही नहीं होता, वरन् प्रकृति में भी कर्तव्यकी भावना बहुत तीव्र होती है. सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, विभिन्न ऋतुएँ नित्य प्रतिदिन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संसार को आलोकित करते हैं. निःसन्देह प्रकृति ने ही मनुष्य को कर्तव्यबोध कराया है, कर्तव्यपालन से अवगत कराया है.

ईश्वर की इच्छानुसार चलना मनुष्य का प्रथम कर्तव्यहैं- लियो टॉल्स्टोय

मानव जीवन का धर्म और कर्म (कर्तव्य) क्या हैं ?

मानव जीवन का कर्म एवं धर्म दोनों एक ही हैं. भारतीय दर्शन के अनुसार किसी भी कर्म को धारण करने को ही धर्म कहा गया है. संस्कृत के श्लोक में कहा गया है कि 'धारयति इति धर्मः' अर्थात धारण करना ही धर्म है. सूर्य का धर्म है कि सौरमंडल में प्रकाश फैलाना. पानी का धर्म है जीवधारियों के प्यास को बुझा देना. इसी प्रकार माता-पिता का धर्म है अपने संतान का अच्छे प्रकार से पालन पोषण करना. उसी प्रकार संतान का धर्म है माता-पिता को वृद्धावस्था में सहारा देना. शासक का धर्म है प्रजा का पूरे लगन के साथ पालन करना. उसी तरह विद्यार्थी का धर्म है ध्यान पूर्वक विद्या अध्ययन करना. इस तरह से ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यका निर्वाह करना ही वास्तविक धर्म है. गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म के जिंदा नहीं रह सकता है. श्रीमद्भगवतगीता के अनुसार निष्काम कर्म करने वाला मनुष्य ही वास्तविक रुप से धार्मिक है. लाभ-हानि, जय-पराजय में स्थिरबुद्धि का रहना ही निष्काम कर्म है. इस तरह के मनुष्य के प्रकृति को ही श्रीमद्भगवतगीता में स्थितप्रज्ञ प्रकृति का मनुष्य कहा गया है. अतः कर्म एवं धर्म में अनन्योनाश्रित संबंध है. निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला ही मनुष्य सच्चा धार्मिक माना जाएगा.

कर्तव्य पालन के लाभ :

कर्तव्यपालन को यदि अपना उत्तरदायित्व समझकर निभाया जाए तो हमें उसके अनेक लाभ दिखाई देंगें. कर्तव्य पालन करने वाला व्यक्ति मन का स्वच्छ एवं सरल होता है तथा निडर व साहस होता है. सबसे बड़ी बात उसका कोई शत्रु नहीं होता, वरन् मित्र ही मित्र होते हैं. हमारा इतिहास कर्तव्यपरायण लोगों के अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है. पन्नाधाय ने अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने पुत्र को बलिदान दे दिया था.

मर्यादा पुरुषोत्तम राम का तो जीवन ही कर्तव्यों के लिए था तभी तो अपने कर्तव्यपालन के लिए अपनी पत्नी सीता का भी त्याग कर दिया था. महात्मा गाँधी, सुभाष चन्द्र बोस, चन्द्रशेखर, जवाहरलाल नेहरु, भगत सिंह सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमारे बीच अमर हो गए.

ईश्वर कभी भी उस व्यक्ति की सहायता नहीं करता जो कर्म ही नहीं करता- सोफोक्लीज

कर्तव्य का पालन प्रत्येक मनुष्य को करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि यही समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी निर्धारित करते हैं. यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन अच्छे प्रकार से करता है, तो समाज में उसे आदर व सम्मान प्राप्त होता है परंतु यदि कोई मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो उसे समाज से कभी भी सम्मान व आदर नहीं मिल सकता है.

कर्तव्य पालन नैतिकता के तौर पर :

यह एक ऐसा विषय है जिसको अनेक आधारों पर परिभाषित किया जा सकता है, और प्रत्येक आधार किसी न किसी रूप में सही भी हो सकता हैं. यह एक ऐसा विषय है जिस पर महापुरुषों ने आदिकाल से अनेक प्रकार से व्याख्या की हैं, परन्तु सभी व्याख्याओं को सम्मान देते हुए कुछ विद्वानों की उस परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने कर्तव्य पालन को नैतिकता का प्रमुख आधार माना हैं . इस परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति की नैतिकता का आधार उसके द्वारा निभाए गए सामाजिक कर्तव्यों को माना जा सकता हैं. उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं जैसे नेता, शिक्षक, वैज्ञानिक, इंजीनियर, किसान, सैनिक, मजदूर आदि सभी समाज के तत्व किसी न किसी प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं.

अब प्रश्न यह उठता है कि कर्तव्य पालन के आधार पर किसी को कैसे नैतिक या अनैतिक घोषित किया जा सकता है? जैसे कोई जन प्रतिनिधि इस आधार पर नैतिक नहीं कहा जा सकता की वो समाज में बैठ कर कितनी ऊँची बाते करता है, या वह किस प्रकार के परिधान पहनता है, या वह कितनी बड़ी गाड़ी में चलता है. ये उसके नैतिकता का कोई पैमाना हुआ ही नहीं. बल्कि उसकी नैतिकता का आधार यह होगा की जिन कार्यों के लिए जनता ने उसे अपना प्रतिनिधि चुना है; वो उन कर्तव्यों को कहाँ तक पूर्ण कर पाया है. क्या चुनाव के पूर्व व बाद के उसके व्यवहार में कोई बदलाव आया है; कही आम जनता उसके परिवर्तित व्यवहार से खुद को ठगा सा महसूस तो नहीं कर रही. और कहा तक उसने अपने किये वादों को पूर्ण किया हैं.

कर्तव्यकभी आग और पानी की परवाह नहीं करता- मुंशी प्रेमचंद

उसी प्रकार यह पैमाना हम अन्य सामाजिक भागों पर भी लागू कर सकते हैं; जैसे किसी शिक्षक का कर्तव्य है कि वो समाज और राष्ट्र के लिए सशक्त व्यक्तित्व और उत्तम मानसिकता के युवाओ का निर्माण करें. कही कोई शिक्षक व्यक्तिगत विचारो के आधार पर किसी विद्यार्थी से भेदभाव तो नहीं कर रह है; या कही वह शिक्षण देने में कोई लापरवाही तो नहीं कर रहा है. इसी प्रकार एक विद्यार्थी की नैतिकता इसी में है कि वह पुरे कर्तव्य बोध के साथ शिक्षा ग्रहण करें

गृहस्थानां च सुश्रोणि नातिथेर्विद्यते परम्।

हिंदी अर्थ:- मनुष्यों के लिए अतिथि सेवा से बढ़कर और कोई सेवा या कर्तव्य नहीं है.

नैतिकता के इस आधार में भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, क्योकि इसमें कभी कभी विषयनिष्ठ की जगह वस्तुनिष्ठ का मामला सामने आ सकता है. परन्तु इसमें अधिकतर मुद्दों में विषयनिष्ठ का प्रश्न ही दृष्टिगोचर होगा क्योकि समाज या अन्य सेवाओं में सरकार या अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा व्यक्ति के कार्य नियमों और कर्तव्यों को चिन्हित किया जाता हैं. अतः अगर कोई व्यक्ति समाज में बड़ी बड़ी बातें करे परन्तु अगर वह अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर नहीं है तो उसे खुद को नैतिक कहलवाने से पहले अपनी कार्य प्रणाली पर भी विचार करना होगा कि अपना कर्तव्य पालन करते समय हम कितना इन सिद्धांतो का पालन करते हैं या कितना इन सिद्धांतो का अपने

जीवन में अनुसरण करते हैं. ये सिद्धांत निम्नदर्शित हैं-

1. सत्यनिष्ठा
2. विषयनिष्ठा
3. जवाबदेही
4. निष्कपटता
5. ईमानदारी
6. नेतृत्व

अपना कर्तव्य करने से हम उसे करने की योग्यता प्राप्त करते हैं- ई वी पूसे

कर्तव्यवाद और परिणामवाद - कांट एवं मूर :

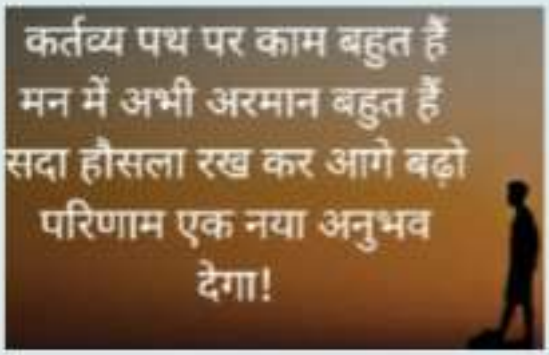

भारतीय दर्शन में कर्तव्यमूलक चिंतन की प्रधानता विद्यमान रही है. भारतीय नैतिक चिंतन में मनुष्य पर तीन ऋणों-देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण को स्वीकार किया गया है. इन ऋणों को पूरा करने में ही कर्तव्यों की परिभाषा दी गई है तथा सुख या आनंद परोक्ष रूप में इन कर्तव्यों को पूरा करने में निहित माना गया है. इन ऋणों को पूरा करते हुए मनुष्य प्रायः सभी सांसारिक सुखों का भोग करता है. लेकिन यहाँ सुख को केन्द्र में नहीं रखा गया है. सुख मुख्य लक्ष्य नहीं है. मुख्य लक्ष्य कर्तव्य है और कर्तव्य पालन में ही सुख निहित है. भारतीय चिंतन सुखवाद एवं कर्तव्य मूलक सिद्धान्त दोनों का सुन्दर समन्वय करता है. यद्यपि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय चिंतन के ये नैतिक मूल्यों का धीरे-धीरे अवमूल्यन एवं मूल्यांतरण हुआ है.

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥

हिंदी अर्थ:- कर्तव्य-कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं. अतः तू कर्मफल का हेतु भी मत बन, और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो.

कर्तव्यमूलक चिंतन वस्तुतः आदर्शवादी है. प्रायः लोग अपने कर्तव्य का पालन किसी अन्य लक्ष्य के लिए करते हैं अर्थात् उनके जीवन का ध्येय कर्तव्य से इतर होता है. लोग कर्तव्य के बजाय परिणाम पर अधिक केन्द्रित होते हैं. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिणाम ही कार्य के मूल्य का निर्धारण करता है. लेकिन परिणामवाद और कर्तव्यमूलक चिंतन दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं. वस्तुस्थिति तो यह है कि यदि कर्तव्य का पालन पूर्ण कर्तव्यबोध के साथ किया जाए तो अच्छे परिणाम स्वतःनिकलते हैं. इसीलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुनः कर्तव्य पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है. वास्तव में यदि कर्तव्यवाद एवं परिणामवाद की तुलना करें तो कर्तव्यवाद परिणामवाद से निःसंदेह श्रेयस्कर सिद्ध होता है. अर्थात् आज परिणामवाद के साथ-साथ कर्तव्यवाद पर भी जोर देने की आवश्यकता है.

कुछ ना कुछ कर बैठने को ही कर्तव्यनहीं कह सकते हैं, कोई समय ऐसा भी होता हैं जब कुछ ना करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्यबन जाता हैं - रविंद्र नाथ टैगोर

बैंक में अधिकारियो के ग्राहकों के प्रति कर्तव्यपालन :

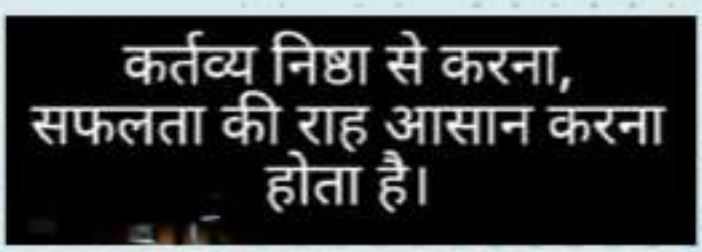

बैंक निम्नलिखित प्रमुख मूल्यों/मानदंडों के साथ कर्तव्यका पालन करता हैं-

उत्कृष्ट ग्राहक सेवा
लाभोन्मुखता
सभी कार्यों एवं संबंधों में निष्पक्षता
जोखिम लेना एवं नवोन्मेषन
ईमानदारी
नीतियों एवं प्रणालियों में पारदर्शिता एवं अनुशासन

जहां तक बैंक के मूल कार्यों अर्थात जमाराशियाँ स्वीकार करने और ऋण देने का संबंध है, जमाराशियों/अग्रिम एवं विभिन्न जमा एवं ऋण उत्पादों की ब्याज दरों को बैंक की वेबसाइट में दर्शाया जाता है और सभी शाखाओं में प्रदर्शित भी किया जाता है.

जहां तक ऋणों की संस्वीकृति का संबंध है, बैंक का प्रत्येक अधिकारी प्रस्तावों के गुण-दोषों के आधार पर ऋण प्रस्तावों पर विचार करता है और अधिकारों के प्रत्यायोजन (डेलीगेशन) की योजना की शर्तों के अनुसार निर्णय लेता है. बैंक के सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे ईमानदारी एवं पर्याप्त सावधानी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करे.

कर्तव्यमें मिठास हैं- महात्मा गाँधी

उपसंहार :

कर्तव्यपालन की महत्ता अपरम्पार है जिसका जीवन के हर कदम पर महत्त्व है. कर्तव्य-पालन से विमुख रहने वाला व्यक्ति अपने अधिकार पाने का भी अधिकारी नहीं रह पाता है. जो व्यक्ति कर्तव्य-पालन से निपुण होता है, उसकी यशगाथा की सुगन्ध सर्वत्र फैल जाती है. सभी उसका आदर करते हैं तथा उसकी बात मानते हैं.

इसलिए यदि हम घर, समाज, राष्ट्र तथा संसार सभी की सर्वांगीण उन्नति चाहते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि हमने किसी के लिए क्या किया है, यह नहीं कि किसी ने हमारे लिए क्या किया है. ऐसी सोच होने पर कठिनाईयां अपने आप दूर हो जाएगी.

कर्तव्य कभी आग और पानी की परवाह नहीं करता. कर्तव्य पालन ही चित्त की शांति का मूल मन्त्र है- मुंशी प्रेमचंद

श्री रोहित तिवारी
सहायक प्रबंधक,
कॉर्पोरेट वित्त शाखा, बी के सी

निबंध 13

कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते

कर्तव्यकी परिभाषा –

दरअसल, महाभारत जीवन, धर्म, राजनीति, समाज, देश, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी विषयों से जुड़ा पाठ है. महाभारत एक ऐसा पाठ है, जो हमें जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग बताता है. महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है. महाभारत को पढ़ने के बाद इससे हमें जो शिक्षा या सबक मिलता है, उसे याद रखना भी जरूरी है. 'कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते' यह शब्द महाभारत से ही जुड़ा हुआ है. सामान्यतः कर्तव्यशब्द का अभिप्राय उन कार्यों से होता है, जिन्हें करने के लिए व्यक्ति नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होता है. इस शब्द से वह बोध होता है कि व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा, अनिच्छा या केवल बाह्य दबाव के कारण नहीं करता है अपितु आंतरिक नैतिक प्रेरणा के ही कारण करता है. प्रत्येक अधिकार अपने साथ सामाजिक कल्याण का कर्तव्य रखता है. व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है, इसका अस्तित्व और विकास समाज में ही संभव है. नागरिकों को समाज में ही अधिकार मिल सकते हैं, समाज के बाहर अधिकार होना संभव नहीं है. मनुष्य की सुरक्षा के लिए समाज जिम्मेदार है. जहाँ समाज व्यक्ति के लिए इतना उपयोगी साबित होता है, वहां व्यक्ति के भी समाज के प्रति कई कर्तव्य भी होते हैं. उन मुख्य कर्तव्यों में से एक समाज के कल्याण के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करना है.

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह...

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे.

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें.

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे.

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे.

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है.

(च) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छु ले.

(ट) यदि माता–पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे.

कर्तव्यमें सच्चरित्रता और ईमानदारी

सच्चरित्रता और ईमानदारी ऐसे गुण हैं, जो हमारा मस्तक गर्व से ऊँचा रखते हैं. देश और मानवता के प्रति

भी हमारे कर्तव्यहोते हैं. देश के कानूनों को मानना और देशहित के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देना हम सबका प्रनीत कर्तव्यहै. कर्तव्यका शब्दकोशीय अर्थ 'करने योग्य' है. अतः कर्तव्यऐसे कार्यों को कहा जाता है, जिन्हें करने की हम सबसे अपेक्षा की जाती है. अपने कर्तव्यों का भली-भाँति निर्वाह करने वाला व्यक्ति समाज में आदर पाता है, जबकि कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को घृणा की नजर से देखा जाता है और कभी-कभी वह राज्य और समाज की सजा का पात्र भी बनता है. सभी को देश और संगी नागरिकों के प्रति ईमानदार और वफादार होना चाहिये. उन्हें एक-दूसरे के लिये सम्मान की भावना रखनी चाहिये और देश के कल्याण के लिये बनायी गयी सामाजिक व आर्थिक नीतियों का भी सम्मान करना चाहिये. लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा में शामिल करना चाहिये और उनके स्वास्थ्य और बचपन की देखभाल करनी चाहिये. इसका सीधा सा मतलब है जब तक हम हमारे कर्तव्यों का पालन नहीं करेगें तो दूसरों को उनका अधिकार नहीं मिल पाएगा जबकि दूसरे लोग अपने कर्तव्यका पालन नहीं करेगें तो हमें हमारे अधिकार नहीं मिल सकेगे. इसलिए गाँधी जी का उपदेश था कि जो अपने कर्तव्यों का पालन करता रहता है, अधिकार उसे स्वयं प्राप्त हो जाते है. आज हम जिन कर्तव्यों के पालन की बात कर रहें हैं, प्राचीन काल से ही मनुष्य को उन कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा दी जाती रही है.

86 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2002 -

86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में 11 मूल कर्तव्य और जोड़े गए हैं. हमारे यहां हर देशभक्त व ईमानदार नागरिक इन कर्तव्यों का पालन वैसे भी करता है. जो भी काम आप कर रहे हो आप विद्यार्थी, कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी, उद्योगपति शिक्षक दुकानदार आदि कोई भी हो उसे ईमानदारी, पूरी लगन और निष्ठा से करना चाहिए. इनमें आलस्य करना या इनसे जी चुराना अच्छे नागरिक का लक्षण नहीं हो सकता. निष्ठाओं का समुचित क्रम ही कर्तव्यों का बोध है. इसका अर्थ यही है कि हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को सर्वाधिक प्राथमिकता दे, उसके बाद समाज, समुदाय, समूह, कुटुंब और परिवार के प्रति कर्तव्यों को राष्ट्र की रक्षा के लिए परिवार, कुटुंब, समूह, समुदाय सब कुछ बलिदान करने का कर्तव्य.

मतदान को मूल्यवान कर्तव्यमानना. मतदान जरुर करना चाहिए और अच्छे नागरिक को बिना लोभ, मोह, दबाव के आत्मा की आवाज को सुनकर अपना मत देना चाहिए. मताधिकार का प्रयोग करते समय जाति, धर्म, वर्ग, अथवा अन्य संबंधों को प्राथमिकता दिए बिना सुपात्र उम्मीदवार को ही अपना मत प्रदान करना चाहिए. बैंकिंग क्षेत्र में इन्ही कर्तव्यों के अधिकारों को आधार मानकर खाते क्यों और कैसे एनपीए होते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी देखेंगे.

तीन प्रकार के होते हैं एनपीए-

जब हम एनपीए के बारे में अखबार में पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर एनपीए खाता एक जैसा हो. एनपीए का यह भी मतलब नहीं है कि बैंक की रकम डूब गयी है या बैंक ने उस लोन को वसूलना छोड़ दिया है. असल में किसी लोन खाते को एनपीए घोषित करने के बाद बैंक को एनपीए खातों को तीन श्रेणियों 'सबस्टैंडर्ड असेट्स', डाउटफुल असेट्स और 'लॉस असेट्स' के रूप में वर्गीकृत करना होता है. मसलन, जब कोई लोन खाता एक साल या इससे कम अवधि तक एनपीए की श्रेणी में रहता है उसे 'सबस्टैंडर्ड असेट्स' कहा जाता है. इसी तरह जब कोई लोन खाता एक साल तक 'सबस्टैंडर्ड असेट्स' खाते की श्रेणी में रहता है तो उसे 'डाउटफुल असेट्स' कहा जाता है. लोन वसूली की उम्मीद न होने पर उसे 'लॉस असेट्स' मान लिया जाता है.

आरबीआई बनाता है नियम-

बैंकों के पूंजी आधार, उनकी आय और कर्ज के ट्रेंड पर नजर रखने के लिए आरबीआई ने नरसिंहम बैंकिंग समिति की सिफारिशों के आधार पर एनपीए के संबंध में ये नियम बनाए हैं. इस समिति ने अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का अध्ययन करने के बाद इस तरह के प्रूडेंशियल नियम बनाने की सिफारिश की थी. आरबीआई तिमाही आधार पर बैंकों के शुद्ध एनपीए और सकल एनपीए (ग्रॉस नॉन-परफोर्मिंग असेट) के आंकड़े जारी करता है. सकल एनपीए में अटके कर्ज की वास्तविक राशि (ब्याज सहित) जोड़ी जाती है जबकि शुद्ध एनपीए में से वह राशि घटा दी जाती है जो बैंक को बकाएदार से किसी भी स्रोत से वापस मिलने की उम्मीद है.

सबसे पहले यह देखना होगा कि भारतीय बैंकों, विशेषकर सरकारी बैंकों की ऐसी हालत क्यों हुई कि एनपीए सुरसा के मुँह की तरह बढ़ता ही चला जा रहा है.

- मार्च 2018 में वाणिज्यिक बैंकों में कुल एनपीए 10.3 ट्रिलियन रुपए था, जो बैंकों द्वारा दिये गए कुल ऋणों और अग्रिमों का 11.2% था.
- इस एनपीए में सरकारी बैंकों का हिस्सा 8.9 ट्रिलियन रुपए था, जो बैंकों के कुल एनपीए का 86% था.
- सरकारी बैंकों द्वारा दिये गए अग्रिमों तथा ऋणों में सकल एनपीए 14.6% था यानी दिये गए हर 100 रुपए में से 14.6 रुपए एनपीए की भेंट चढ़ गए.
- 2007-08 में कुल एनपीए केवल 568 बिलियन रुपए (आधा ट्रिलियन से कुछ अधिक) था जो कुल अग्रिमों का केवल 2.28% था. लेकिन 2008 के बाद एनपीए में हुई वृद्धि चौंका देने वाली है.

समस्या इतनी बड़ी कैसे हो गई?

- इसके लिये आंशिक रूप से वर्ष 2004-05 से 2008-09 के क्रेडिट बूम को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जब विशेषकर देश के सरकारी बैंकों ने मुक्तहस्त से बिना कोई अधिक ना-नुकुर किये बड़ी मात्रा में लोगों को भारी भरकम कर्ज़ दिये.
- इस अवधि में वाणिज्यिक ऋण (इसे Non-food Credit भी कहा जाता है) की मात्रा दोगुनी हो गई. यह वह समय था जब विश्व अर्थव्यवस्था के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था भी तेज़ी से कुलांचे भर रही थी. आने वाले विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिये भारतीय फर्मों ने बैंकों से भारी मात्रा में कर्ज लिया.
- इनमें से अधिकांश निवेश बुनियादी ढाँचे तथा टेलीकॉम, बिजली, सड़क, विमानन, इस्पात जैसे संबंधित क्षेत्रों में हुआ.
- इस दौर में यह सोचकर उद्यमियों और व्यवसायियों में आशा और उत्साह का अतिरिक्त संचार हुआ था कि भारत ने 9% आर्थिक वृद्धि के दौर में प्रवेश कर लिया है. लेकिन जल्दी ही मामला गड़बड़ाने लगा, जैसा कि 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में इंगित भी किया गया था.
- भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में निरंतर समस्याएँ आ रही थीं, जिसकी वजह से कई

परियोजनाएँ ठप हो गई और जो परियोजनाएँ काम कर रही थीं उनकी लागत कई गुना बढ़ गई.

- ठीक इसी समय 2007–08 में वैश्विक वित्तीय संकट की शुरुआत हुई और 2011–12 के बाद विकास में मंदी आ गई, जिसकी वजह से राजस्व की प्राप्ति अपेक्षा से कम हुई.
- इसके परिणामस्वरूप वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया में देश में नीतिगत दरों को सख्त किया गया, जिसकी वजह से वित्तपोषण की लागत में वृद्धि हुई.
- इसके अलावा, रुपए का मूल्यहास होने से उन कंपनियों को बहुत कठिनाई हुई, जिन्होंने विदेशी मुद्रा में ऋण लिया था. उन्हें डॉलर का मूल्य बढ़ जाने की वजह से रुपए में अधिक पड़ रही थी.
- विभिन्न प्रतिकूल कारकों के इस संयोजन ने कंपनियों के लिये भारतीय बैंकों से लिये अपने ऋणों को बनाए रखना और चुकाना बेहद कठिन बना दिया.
- वर्ष 2014–15 में बैंकिंग मानदंडों की कड़ा करने के कारण स्थिति और विकट हो गई.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का यह मानना था कि एनपीए को कम करके बताया जा रहा है और उसने एसेट क्वालिटी रिव्यू के तहत एनपीए को मान्य बनाने के लिये कठोर मानदंड लागू किये.
- इसका परिणाम यह हुआ कि 2015–16 में एनपीए पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना हो गया. इसके पीछे ऐसा नहीं था कि अचानक खराब फैसले लिये गए थे. दरअसल, यह पूर्व में लिये गए गलत निर्णयों के संचयीकरण का परिणाम था जो अब अधिक सटीक रूप में सामने आ रहे थे.

निष्कर्ष–

आधुनिक कंप्यूटर प्रौद्योगिकी विकास के युग में, किसी व्यक्ति के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा किए बिना केवल अधिकारों की अपेक्षा करना मूर्खता होगी. वर्तमान युग में, अधिकारों का क्षेत्र बहुत विशाल हो गया है क्योंकि न केवल राजनीतिक संसार में, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संसार में भी कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं. इस तरह के परिवर्तनों का जहां मनुष्य को व्यावहारिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार है, वहाँ यह युग विनाशकारी परमाणु और अन्य युद्धों से बचने के लिए प्रयास करने या अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए जोर देता है. यह तथ्य इस विचार का समर्थन करता है कि अधिकार और कर्तव्य अविभाज्य हैं और यह एक ही सिक्के के दो पहलू है और इनकी अंतर्संबंद्धता सभ्यता के विकास के साथ ओर ज्यादा विकसित हो रही हैं. अपने कर्तव्यों का पालन करते समय हमें किसी प्रकार का घमण्ड नहीं. दिखाना चाहिए और अपने मन में किसी पर अहसान करने की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए. हम जो भी सेवा या त्याग करें, उसे अपना कर्तव्यपालन समझ कर करना चाहिए . कर्तव्यपालन ही हमारे समक्ष सबसे बड़ा आदर्श होना चाहिये .

श्री बलबीर कुमार
क्रेडिट अधिकारी II
आंचलिक कार्यालय, चंडीगढ

निबंध 14

कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि ।।

यह श्लोक भगवदगीता से है, जहां भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को बिना फल की एच्छा किए अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए. निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है. इसलिए फलों के विषय में न सोचे और अपने कर्म करते रहे.

कर्तव्य:

मनुष्य के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिन्हें पूरा करना उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, यही कार्य कर्तव्य कहलाते हैं. कर्तव्य ऐसे कार्य हैं जो व्यक्ति की आंतरिक प्रेरणा का कारण है.

कर्तव्य पालन:

हमारी प्रकृति कर्तव्य पालन का एक सुंदर उदाहरण है. सूर्य सदैव सृष्टि को प्रकाश प्रदान करता है. चन्द्र अपनी शीतलता बरसाता है. जल और वायु प्राणियों को जीवन देते हैं. धरती अपनी माँ की तरह अपनी रक्षा करती है. हमे उनसे सीख लेनी चाहिए.

परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की प्रगति का एकमात्र आधार कर्तव्य पालन है. कर्तव्य पालन से ही मानव के जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान होता है. कर्तव्य पालन करने वाले व्यक्ति का जीवन उत्साह से भर जाता है. उसे कोई भी कदम उठाने से डर नहीं लगता. वह सच्चाई के रास्तों पर चलता है, साहसी हो जाता है. उसे आत्मिक शान्ति मिलती है. यश मिलने के कारण वह प्रगति पथ पर आगे बढ़ते जाता है.

एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने परिवार, माता-पिता, बच्चों, पडोसियों, पति, पत्नी, समाज और अपने देश के लिए बहुत सारे कर्तव्य निभाता है.

भारतीय नागरिक अगर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाएंगे तो हमारा देश वास्तविक रुप में आत्मनिर्भर हो सकता है. माता-पिता अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे तो वह बच्चे कल के अच्छे नागरिक बनेंगे. सरकार गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही है, क्योंकि बच्चों का विकास हमारे देश के विकास की नींव है. शिक्षक अपने छात्रों की अज्ञानता दूर करके उन्हें ज्ञान का प्रकाश देते हैं. शिक्षकों के प्रयास से अच्छे और आदर्शवादी इन्सानों का निर्माण होता है जो अपने देश को प्रगति की ओर ले जाते हैं.

विद्यार्थी विद्या अध्ययन ईमानदारी से और मन लगाकर करेंगे तो निश्चित ही वे अपने माता-पिता को सुखी जीवन दे सकते हैं, देश की प्रगति में हिस्सेदार बन सकते हैं.

डॉक्टर, मरीज के लिए भगवान की तरह होता है. डॉक्टर पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाएंगे तो कई लोगों को नया जीवन मिल सकता है. इंजिनिअर जो देश के विकास कार्य के लिए ज्यादा जिम्मेदार है. उन्हे भ्रष्टाचार से दूर रहकर सकारात्मक दिशा से काम करना चाहिए.

एक सच्चा, वफादार राजनेता देश को उँचे स्तर पर ले जा सकता है. भ्रष्ट राजनेता देश की प्रगति में बाधा बनकर देश का नुकसान करते हैं. देश मे सुरक्षा, शान्ति और सद्भावना को बनाए रखना जों कि पुलिस सिपाही का कर्तव्य है, अगर उसे वो वफादारी से निभाएंगे और लालच से दूर रहेंगे तो एक अच्छे और स्वच्छ भारत की छबी का निर्माण होगा. खिलाडियों को अपने देश के प्रति वफादारी रखनी चाहिए. मॅचफिक्सिंग या किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में शामिल न होकर वह अपने देश को बहुत सारे खेलों में विजयी बना सकते हैं.

अक्षर हम सरकारी नियम और कायदे कानूनों का पालन करते हैं और कानूनी व्यवस्था का आदर करते हैं, बातें बहुत ही आसान हो जाती है और कठिन दिखाई देने वाले रास्तें सहजता से हम पार कर जाते हैं. हमारे देश को ब्रिटिश शासन से आजादी मिले बहुत वर्ष बीत गए. लाखों लोगों ने अपना अमूल्य जीवन गवा कर स्वतंत्रता के

सपने को साकार किया. इस स्वतंत्रता का जतन करना हमारा कर्तव्य है. इसलिए सिर्फ सरकारी नियम और कानून बनाना काफी नहीं है, वास्तविकता में सभी गैर-कानूनी गतिविधियों से मुक्त होकर भारत के प्रत्येक नागरिक ने प्रयत्नशील होना चाहिए जिससे मंगलमय भारत का निर्माण होगा.

समय का उपयोग सही तरीके से करे:

समय किसी के लिए भी इंतजार नहीं करता, ये लगातार भागता रहता है. इसलिए हमें भी रुकना नहीं चाहिए क्योंकि किसी ने सच कहा है कि, यदि हम समय बर्बाद करेंगे तो समय हमें बर्बाद कर देगा. हर काम अगर सही समय पर होता है तो हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुँचते है. इसी विषय पर मुझे कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आती है. यह पंक्तियाँ वास्तव में बहुत ही अर्थपूर्ण है.

आगे बढो, बढते रहो, यही समय सिखलाता है।
जो करे दुरुपयोग समय का, वह पीछे पछताता है।
जो करे प्रयास निरंतर, प्रगति पथ पर बढता है।
समय सचेत करता है सबको, रुक जाना भारी पडता है।

इसलिए कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को बीना समय गवाए अपने काम पूरे करने चाहिए. विद्यार्थीयों को समय पर अपनी शिक्षा पूरी करनी चाहिए.

भारत के नागरिकों के लिए आवश्यक है कि वास्तविक अर्थों में आत्मनिर्भर होने के लिए अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों का व्यक्तिगत रुप से पालन हो सकता है जब देश में अनुशासित, समय के पाबंद, कर्तव्यपरायण और इमानदार नागरिक हो.

सरकार के प्रति लोगों की भूमिका:

हमें अपनी सरकार खुद चुनने का अधिकार है. उसे बडी कर्तव्य दक्षता से निभाने में ही समझदारी है. बुध्दिमत्ता पूर्ण मतदान कर हम हमारे राज्य, हमारे देश के लिए दमदार, ईमानदार, निष्ठावान नेता चुन कर देश के लिए सही नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं. सही नेतृत्व हमें सही दिशा पर ले आगे बढता है. लोग अपने नेता से प्रेरणा पाकर जोशों के साथ काम में जुट जाते हैं जो कि उन्हे विकास की ओर ले जाता है.

लोगों को सरकारी प्राधिकरणों का आदर करना चाहिए और कोई नियम नहीं तोडना चाहिए. दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए. किसी भी अपराध को सहन नहीं करना चाहिए. लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए. हम अगर कायदे-कानून के रास्ते से आगे बढेंगे तो बाते आसानी से सुलझ जाती है. लोगों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए. भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को रिश्वत देकर उनकी समाज विघातक गतिविधियों को कभी प्रेरणा नहीं देनी चाहिए. अगर ऐसे लोगों को हम समाज के सामने लाते हैं तो समाज को अपने आप ही एक सीख मिल जाएगी और समाजकंटकों को सजा भी मिल जाएगी. हमे ना कभी रिश्वत देनी चाहिए और ना कभी रिश्वत लेनी चाहिए.

समय पर करों का भुगतान:

हम जो विविध करों का भुगतान करते हैं यह रकम सरकार के पास जमा होती है. इसी जमा राशि से देश के अनेकों उपक्रम, जनता के लिए सुविधाएँ, पाठशालाएँ, अस्पताल, रास्ते बनाए जाते हैं. हम जो करों का भुगतान करते हैं उसका देश की उन्नती में महत्वपूर्ण योगदान होता है. इसलिए समय पर करों का भुगतान करना जरुरी है. अत: लोगों को करों का भुगतान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए.

सामुदायिक जिम्मेदारी:

हर व्यक्ति समाज का एक हिस्सा होता है. इसलिए समाज के प्रति सभी को अपने कर्तव्यों को निभाना एक नैतिक जिम्मेदारी है. जिस तरह हम अपने घर को साफ-सुथरा रखते हैं उसी तरह अपने आस-पास का परिसर स्वच्छ रखना चाहिए. 'कचरा कूडेदान में ही फेंके।' 'दीवारों पर ना थूंके।' इस तरह के सूचना फलक लगाकर लोगों को प्रेरित करना हमारा सामुदायिक कर्तव्य है. सोसायटी में वृक्षरोपण, बॉटर-रिसायकलिंग जैसे

उपक्रमों को चालना देकर हम अपनी सोसायटी स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं. लेकिन यह किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामुदायिक जिम्मेदारी है.

साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा,
मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना।

गीत की यह पंक्तियाँ कितनी समर्पकता से सामुदायिक जिम्मेदारी का वर्णन करती है.

हमें एक-दूसरे के लिए सम्मान की भावना रखनी चहिए और देश के कल्याण के लिए बनायी गयी सामाजिक व आर्थिक नीतियों का भी सम्मान करना चहिए. लालच, अपराध, भ्रष्टाचार, गैर जिम्मेदारी, बालश्रम, गरीबी, आतंकवाद, कन्या भ्रूण हत्या, लिंग और जाती असमानता, दहेज इस तरह की सामाजिक समस्याएँ दूर करने के लिए बड़ी एकजूटता से सामाजिक बंधुभाव से सामुदायिक परिश्रम आवश्यक है.

हमें स्वार्थी बनकर सिर्फ खुद की भलाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि देश की भलाई के लिए अपने कर्तव्यों के बारे में समझना चहिए. हमारी सकारात्मकता से लाभान्वित भी हम ही होंगे और हमारी नकारात्मकता से शोषित भी हम ही होंगे. इसलिए हम यह प्रतिज्ञा करेंगे कि हम सकारात्मकता के साथ हर कदम सही दिशा में उठाएंगे. हमारे देश के विकास के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, यह बात अगर हर पल हमने याद रखी तो निश्चित ही हमारे कदम सही रास्ते पर चलेंगे.

लोगों में समानता की भावना का निर्माण करना और धर्म, भाषा, जाति, लिंग भेद इन बातों से परे अच्छे समाज का निर्माण करना हमारी सामुदायिक जिम्मेदारी है.

हमारी संस्कृती और गौरवशाली परंपरा का हमें जतन करना चहिए. हमारे पर्यावरण का जैसे पानी, झील, पर्वत, वन, वृक्ष, धरती इन सभी का संरक्षण और संवर्धन करना, हमारे संरक्षण के बराबर है. सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है. उसका नुकसान याने हमारा नुकसान है.

बच्चों को शिक्षित करके एक अच्छा नागरिक बना कर हम अपने देश के लिए मजबूत आधारस्तंभ बनाएंगे. वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र के विकास की ओर हमारे कदम बढेंगे तो एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण दूर नहीं.

भारत एक सांस्कृतिक, धार्मिक, परंपराओं से जुडा हुआ देश है. यहाँ विविधताओं में एकता नजर आती है. इसके विकास के लिए स्वच्छ और भ्रष्टाचाररहित समाज का निर्माण आवश्यक है. हर व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है उसे यह एहसास होना जरुरी है कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ. भारत मेरी जन्मभूमी है. देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण मुझे मेरे देश के प्रति बहुत सारे कर्तव्यों को निभाना है जो मेरे देश को विकास की ओर ले जाएंगे. भारत को वास्तविक रुप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने कर्तव्यों का व्यक्तिगत रुप से पालन करें. यह तभी संभव हो सकता है जब देश में अनुशासित, समय के पाबंद, कर्तव्यपरायण और ईमानदार नागरिक हो.

अगर सुरज ने रोंशनी देना न छोडा, बादलों ने बरसना न छोडा चाँद और तारों ने चमकना न छोडा, तो हम भी हमारी प्रकृति से कुछ सीख ले. हमारे कर्तव्य को समझे.

तो आओ, हम भी अविरत मेहनत और लगन के साथ हमारे कर्तव्य निभा कर इस देश को सुखमय, मंगलमय, सुजलाम, सुफलाम बनाएं. कविता की नीचे दी गयी पंक्तियाँ इस बात की पुष्टी करती है.

सागर की लहरे न ठहरी, सरिता ने भी गति न छोडी।
खग ने अपनी दिशा न मोडी, व्यर्थ न समय गंवाओ।
अपना कर्तव्य निभाओ।
भानु ने अरुणिमा संजोयी, निशा तनिक भर भी न सोई।
चांदनी ने आभा न खोई, निज कर्म से न कतराओ।
अपना कर्तव्य निभाओ।

सुश्री वैदेही मांजरेकर
एफ. आय. विभाग
केन्द्रीय कार्यालय

स्वामी विवेकानंद ने कहा था....

- खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है.
- जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी.
- जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते.
- एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ.
- जब तक जीना, तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है.
- जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है.
- दिल और दिमाग में जब लड़ाई हो तो दिल की सुनो.
- किसी दिन, जब आपके सामने कोई समस्या ना आए आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं.
- पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है.
- उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते.

आज़ादी का अमृत महोत्सव

G20

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

अपनी आकांक्षाओं को विराम न दें

CENT HOME LOAN

प्रस्तुत है

सेंट गृह लक्ष्मी
महिलाओं के लिए आवास ऋण

- न्यूनतम प्रलेखीकरण*
- 8.45%* ब्याज दर
- शून्य प्रक्रिया शुल्क

*नियम और शर्तें लागू।

हमें फॉलो करें: CentralBankofIndia | ऋण के लिए 922 390 1111 पर मिस कॉल दें